आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्
दैनिक
नवप्रदेश
मास्क ही जरूरी
प्रदेश के साथ पूरा देश...
2021 नूतन वर्ष की शुभकामनाएं..
www.navpradesh.com
रायपुर, शुक्रवार 1 जनवरी 2021, पूर्णिमा, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-298 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए
रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

बेहतरी ले आ रहा नया साल, पर ये बीते वर्ष की अच्छी आदतों से ही संभव

हेमंत धोटे

रायपुर। नया साल 2021 देश के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स की मानें तो महामारी से निपटने में हमें वैक्सीन तो लगानी ही होगी, साथ ही अब तक बरती जा रही सतर्कता और 2020 की अच्छी आदतों पर भी वैसे ही ध्यान देना होगा जैसा कि हम अब तक देते आ रहे हैं। पढ़िए इसके कारण...

2020 की आदतें अपनाकर ही कर सकते हैं सुख की आस

प्रदेश में कोरोना के मामलों में एक तिहाई की कमी आई है, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना के गंभीर संक्रमित गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एम्स की बात करें तो यहां कोरोना को लेकर चिकित्सकीय स्टाफ का काम पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आईसीयू फिर से पैक हो गए हैं। जबकि पहले हमें ज्यादा कोरोना के नॉर्मल पेशेंट का इलाज करना होता था। मैं तो यही कहूंगा कि वैक्सीन आ जाए तो भी खतरा टला नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि हम कोरोना से बचाव के लिए 2020 में अपनाई सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क लगाने जैसी अच्छी आदतों को 2021 में भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। इसीसे हम नए साल में सुख समृद्धि की आस कर सकते हैं। **- डॉ. अजय के बेहरा, कोविड इंचार्ज, एम्स**

सभी लोगों के वैसीनेशन में लग जाएंगे डेढ़-दो साल

देश के सभी लोगों के वैक्सीनेशन में डेढ़ से दो साल का वक्त लग जाएगा। साल 2021 के जून-जुलाई तक तो देश में फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन लगेगी। इसके बाद बुजुर्ग व कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों को टीका लगाया जाएगा। छह-सात माह में तो देश की 15-20 फीसदी आबादी को ही टीका लग पाना संभव है। इसलिए नए साल में वैक्सीन आने के बाद भी हमें उन सुरक्षात्मक उपायों का वैसे ही पालन करना होगा, जैसे कि पिछले वर्ष करते रहे हैं। वक्सीन को लेकर हमारे मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए इसे लगवाने में ही भलाई होगी। मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाने के लिए अपना नाम दिल्ली भेजा है। **-टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्यमंत्री, छग**

कुछ दिन और टालना होगा गैरजरूरी खर्चों को

हर कोई चाहता है कि वह अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद बचे पैसों को घूमने-फिरने व मनोरंजन पर खर्च करें ताकि जीवन में उमंग-उत्साह बना रहे। लेकिन कोरोना ने वर्ष 2020 में हमारी इस चाह को ही बदल दिया। लोगों ने गैरजरूरी खर्चों में कटौती कर दी और संभावित संकट से निपटने के लिए ज्यादा बचत शुरू कर दी। हैल्थ पॉलिसिज में इन्वेस्ट किया। अब वैक्सीन आ रही है, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन ने फिर असमंजस में डाल दिया है। खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन की तरह ही हमें अब भी गैरजरूरी खर्च टालने पर भी ध्यान देना होगा। **-संजय खांडवे, सीए, भिलाई**

आज बेबाक

2020 आखिरकार विदा हो गया। संभावतः यह पहला ऐसा साल रहा जिसका एक-एक दिन एक-एक साल के समान था। लोग रोज यह दुआ करते थे कि यह साल जल्दी बीते। बीता साल कोरोनाकाल की भयावहता के लिए कई सालों तक याद किया जाएगा। जिसने दिया कम और लिया ज्यादा है। गए साल ने हमे कई सबक सिखाएं है लेकिन उसकी हमे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब बीती ताहि बिसार कर आगे की सुध लेने की जरूरत है। नया साल सबके लिए नित नई खुशियां लाए इसी मंगल कामना के साथ हैप्पी न्यू ईयर।

खास- खबर

पीएम मोदी ने रखी राजकोट एम्स की आधारशिला

नई दिल्ली (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखी। इससे गुजरात का हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। शिलान्यास समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल हैं। यहां पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2020 ने हमें यह अच्छी तरह से सिखाया है कि स्वास्थ ही संपदा है। यह चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है।

उद्योगपतियों की हितैषी है मोदी सरकार : राहुल

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के हितों की बात कर सिर्फ दिखावा करती है लेकिन असलियत में वह पूंजीपतियों की हितैषी है और इसीलिए उसने उद्योगपतियों का खरबों रुपए का कर्ज माफ किया है। गांधी ने कहा , 23 खरब 78 अरब 76 करोड रुपए का क़र्ज़ इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का माफ़

धान खरीदी पर सरकार संग मंत्रालय में हुई बैठक में सामने आया किसानों का मत

बारदाना चाहे जिसका भी हो बस बिकना चाहिए धान

अपने बारदानों में भी धान बेचने को किसान तैयार

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। प्रदेश में बारदानों की कमी के कारण प्रभावित प्रतीत हो रही धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मौजूदा संकट का समाधान ढूंढने के लिए राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को मंत्रालय में किसानों की बैठक बुलाई गई। इसमें 28 जिलों के करीब 200 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। सरकार की ओर से बैठक में कृषिमंत्री रवींद्र चौबे, ,खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, वनमंत्री मो. अकबर शामिल थे। किसानों ने मंत्रियों के समक्ष सुझाव रखते हुए कहा कि वे अपने बारदानों में भी धान बेचने को तैयार है बस उनका धान खरीदा जाना चाहिए। किसानों की मानें तो सरकार भी इसके लिए तैयार हैं। वहीं सरकार के मंत्रियों की ओर से किसानों को बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से न तो राज्य को नया बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है और न ही एफसीआई को छत्तीसगढ़ के कोटे का चावल उठाने की अनुमति दी जा रही है। जिसके कारण कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया में तेजी नहीं आ पा रही है। यदि कस्टम मिलिंग तेज गति से शुरू हो जाए तो बारदानों का धान खरीदी के लिए पुनः उपयोग किया जा सकेगा।

बैठक में किसानों ने दिए ये सुझाव

- हर किसान का धान खरीदना सुनिश्चित हो
- किसानों के बारदानों में धान खरीदा जाए
- धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए
- टोकन की संख्या बढ़ाकर 4-5 की जाए

राज्यपाल को सौंपेंग ज्ञापन, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी : साहू

बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ मजदूर किसान संगठन के संयोजक मंडल के सदस्य द्वारका प्रसाद साहू ने कहा कि धान खरीदी में जो समस्या आ रही है उसके लिए केंद्र ज्यादा जिम्मेदार लग रहा है। केंद्र को चाहिए कि वह या तो राज्य को नया बारदाना दे या एफसीआई को चावल उठाने की अनुमति दे ताकि पुराने बारदानों का इस्तेमाल हो सके। यदि केंद्र की ओर से ये काम नहीं किया गया तो धान खरीदी और प्रभावित होगी। इसलिए सभी 200 किसानों राज्यपाल के नाम केंद्र को सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साहू ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम पंजाब के किसानों की तरह आंदोलन भी करेंगे।

सीएम ने की है पीएम से बात, जल्द निकलेगा समाधान : रविन्द्र चौबे

कृषिमंत्री चौबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्रीजी ने प्रधानमंत्री से बारदानों की कमी व चावल के उठाव को लेकर बात की है और अब जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है। सरकार हर किसान का धान खरीदेगी। बैठक में मौजूद किसानों ने प्रदेश के सांसदों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। किसानों का कहना है कि सांसदों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र की धान खरीदी व बारदाना की समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराएं।

जिसकी भी होगी गलती उसके खिलाफ उठाएंगे आवाज : चंद्राकर

बैठक में शामिल छग किसान महासंघ के श्रवण चंद्राकर ने कहा कि केंद्र हो राज्य जो भी किसानों के साथ धोखा करेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। केंद्र को चाहिए कि वह राज्य को बारदाना प्रदान करें और राज्य को चाहिए कि वह हर किसान का धान खरीदे। किसान अपने बारदाने में धान बेचने को तैयार है। सरकार जो रेट बारदाना का तय करेगी वह किसान को मान्य होगा। धान बेचने के लिए थोड़ा बहुत घाटा सहने को भी किसान सहमत है।

सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को दी नव वर्ष की शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी लोगों के लिए मंगलकामना की है। इसके साथ ही बघेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्वजों की परिकल्पना के अनुरूप अपनी गौरवशाली परम्परा और पहचान को कायम रखते हुए प्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को

सरकार के फैसलों से गतिमान रहा विकास का पहिया

बघेल ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास का पहिया गतिमान रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है, जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। विगत दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को नियंत्रित रखने में सफलता मिली। उद्योग और व्यापार जगत में भी अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ को इस अवधि में अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है।

टीएमसी नेता विनय मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता विनय मिश्रा के ठिकानों सहित कई स्थानों की तलाशी ली। अधिकारी की मानें तो मवेशी तस्करी के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस नेता विनय मिश्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। टीएमसी नेता विनय मिश्रा सांसद अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं और अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। मिली जानाकारी के अनुसार अधिकारी ने कहा कि मवेशी तस्करी के सिलसिले में गुरुवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता वियन मिश्रा के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए मिश्रा के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया है। अधिकारी ने बताया कि सीबीआई कोलकाता में मिश्रा के दो ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान

4 मई से शुरू होंगी सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षा

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी। घोषणा के दौरान उन्होंने कहा कि हम आगामी सत्र की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन क्लास और टीवी चैनलों से सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। कोरोना के समय छात्रों ने पूरे मनोबल के साथ परीक्षाएं दीं और हम सबने मिलकर साल बर्बाद होने से बचाया। चुनौती के समय विद्यार्थी और शिक्षक डटे हुए हैं।

सिलेबस घटा, परीक्षाएं होंगी

सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण हुए पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए 10वीं 12वीं का 30 फीसदी सिलेबस भी घटा दिया है। इससे छात्रों को काफी राहत मिली है। स्कूल बंद होने के चलते बोर्ड परीक्षार्थियों को भी ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन अब तारीखों के ऐलान से साफ है परीक्षाएं होंगी।

पाक में मंदिर में तोड़फोड़ 14 को किया गिरफ्तार

पेशावर। पाकिस्तान की एक कट्टरवादी इस्लामी पार्टी के सदस्यों की भीड़ द्वारा पश्चिमोत्तर के एक शहर में मंदिर में तोड़फोड़ और फिर आग लगा देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि उन्होंने देर रात छापेमारी करके कम से कम 14 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले में शामिल और लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। करक जिले में हुई इस घटना की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने निंदा की थी। मजारी ने बुधवार को ट्वीट करके मंदिर में आगजनी की घटना की निंदा की।

छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का मॉकड्रिल कल

रायपुर (नवप्रदेश)। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने प्रदेश के सात जिलों में 2 जनवरी को मॉकड्रिल किया जाएगा। ये मॉकड्रिल रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में किये जाएंगे। चार राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के सफल ट्रायल के बाद केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों की राजधानी में इसके ड्राई-रन के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की तैयारियों को परखने के लिए रायपुर जिले के साथ ही छह और जिलों में इसका मॉकड्रिल कर रही है जिनमें दूरस्थ अंचल के भी कुछ जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मॉकड्रिल ■ शेष पृष्ठ 6 पर

25 लोगों पर होगा मॉकड्रिल

स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित जिलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 25 लोगों पर मॉकड्रिल किया जाएगा।

ये है उद्देश्य

इस मॉकड्रिल का उद्देश्य कोल्ड चेन मैनेजमेंट, वैक्सीन की सप्लाई, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स के साथ ही वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों के वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचने, उनकी एंट्री, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन व ऑब्जर्वेशन में रखने की तैयारियों को परखना है।

अकड़ — अंडर वॉटर ड्रोन्स का बेड़ा तैनात किया जो नौसेना को खुफिया जानकारी पहुंचा सकते हैं

अब हिंद महासागर में पानी के नीचे साजिश रच रहा ड्रैगन

बीजिंग/ए.। भारत समेत अपने पड़ोसी देशों के साथ चीन की चालबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। इस वजह से ड्रैगन को कई देशों से फटकार भी मिल चुकी है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से बुरी तरह से मात खाने के बाद अब चीन भारत के खिलाफ एक और साजिश रचने में लग गया है। दरअसल, हिंद महासागर में चीन ने अंडर वॉटर ड्रोन्स का बेड़ा तैनात किया है। यह महीनों तक काम कर सकते हैं और नौसेना को खुफिया जानकारी पहुंचा सकते हैं। इन वॉटर ड्रोन्स का नाम सी विंग (हेयी) ग्लाइडर है। रक्षा विश्लेषक एचई सटन ने यह दावा किया है। प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन के लिए लिखते हुए सटन ने कहा कि ये समुद्री ग्लाइडर्स, जिसे चीनी 'एन मस्से' को तैनात कर रहे हैं, एक प्रकार का अनक्रीडेड अंडरवॉटर व्हीकल (यूयूवी) है। इसने फरवरी तक 3,400 से अधिक ऑब्सर्वेशन किए थे।

लंबे समय तक चलते हैं

सटन ने कहा कि इन ग्लाइडर्स में बड़े-बड़े विंग्स हैं, जिससे लंबे समय तक चल सकते हैं। हालांकि, ग्लाइडर्स तेज या फिर चुस्त नहीं हैं, लेकिन लंबी दूरी के मिशन के लिए तैनात हैं। डिफेंस एनालिस्ट ने आगे कहा कि ये चाइनीज ग्लाइडर्स ओशियनग्राफी डेटा को इकट्ठे कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना के लिए खुफिया जानकारी देने में होता है।

अमेरिकी स्टाइल में काम

ग्लाइडर्स ठीक उसी तरह के हैं, जिसे अमेरिकी नेवी ने तैनात किया था और साल 2016 में बीजिंग द्वारा सीज कर लिया गया था। सटन ने लिखा, 'यह काफी आश्चर्य की बात है कि चीन अब हिंद महासागर में इस प्रकार के यूयूवी एन मास्क को तैनात कर रहा है। चीन ने आर्कटिक में एक आइस ब्रेकर में भी सी विंग को तैनात किया है।' डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार, पिछले साल दिसंबर की रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंद महासागर के मिशन में 14 को तैनात किया गया था।

रावत ने हिंद महासागर को लेकर ये कहा था

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए, चीफ ऑफडिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि दुनिया हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में रणनीतिक ठिकानों को देख रही है। उन्होंने कहा था, 'हिंद महासागर में अभी क्षेत्र से इतर देशों के बलों के 120 से अधिक जंगी जहाज तैनात हैं तथा क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक रुचि के मद्देनजर आने वाले समय में वहां सामरिक अड्डों के लिए होड़ और अधिक बढ़ने वाली है।'

कोरोना वैक्सीन पर ऐक्शन मोड में मोदी सरकार

- **83 करोड़ सीरिंज के लिए दिया ऑर्डर**

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी से जल्द राहत मिलने जा रही है। मोदी सरकार कुछ दिनों बाद टीकाकरण अभियान शुरू कर सकती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें ऐक्शन मोड में काम कर रही हैं। सरकार ने टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली सीरिंज के लिए ऑर्डर दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि सरकार ने 83 करोड़ सीरिंज की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है।

देशभर के सरकारी अस्पतालों में पहुंचाए वेंटिलेटर

बयान के अनुसार, 35 करोड़ अधिक अतिरिक्त सीरिंज के लिए भी बोलियां आमंत्रित की गई हैं और पिछले नौ महीनों में देश भर के सरकारी अस्पतालों में 36,433 वेंटिलेटर बांटे गए हैं, जिनकी लागत 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक है। फरवरी-मार्च में यह कीमत 15 लाख रुपये थी।

न्यूज गैलरी

साय का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

कुम्हारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के प्रथम आगमन पर मंडल द्वारा टोल प्लाजा के पास उनका ढोल, धमाल, फटाके फोड़कर व पुष्पमाला से भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में मुख्य रूप से कुम्हारी मंडल अध्यक्ष पीएन दुबे, पाटन के नेतागण में जितेंद्र वर्मा, उपासना चंद्राकर, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पांडेय, गोल्डी गोस्वामी, नेता प्रतिपक्ष लोकेश साहू, पार्षद रागिनी निषाद, ओंकार मारकंडे, राजू निषाद, सुनीता कुर्रे, रीता पांडेय, तृप्ति चंद्राकर, आयुषी पांडेय, गीता निर्मलकर सहित अन्य उपस्थित थे।

कलेक्टर ने सोनबरसा प्रोजेक्ट की जानी बारीकियां

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे धमधा ब्लाक में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सबसे पहले वे सोनबरसा डायवर्सन पहुंचे। 1965 से बनी सोनबरसा डायवर्सन की नहरें अब काफी क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिसकी वजह से क्षमता का दस फीसदी हिस्सा ही उपयोगी बचा है। इसमें अभी केवल 500 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो पा रही है। इस डायवर्सन से लगभग 13 गाँवों को राहत देने सरकार ने इसके रिनोवेशन का प्रोजेक्ट तैयार किया है जिस पर काम आरंभ हो गया है। 18 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से लगभग 3500 एकड़ कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। कलेक्टर ने आज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता बीजी तिवारी ने बताया कि इसकी ऊंचाई एक मीटर बढ़ाई जाएगी। नहरों की रिमाडलिंग की जाएगी और लाइनिंग कार्य किया जाएगा। इससे नहरों का जीर्णोद्धार होगा और सिंचाई क्षमता में खासी वृद्धि होगी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक भी उपस्थित थे।

अहिवारा का गौठान ट्रैक में

कलेक्टर ने बीते दौरे में अहिवारा का गौठान देखा था। यहाँ अव्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिये थे। अपने दौरे में कलेक्टर ने यहाँ का गौठान भी देखा। इस बार गौठान व्यवस्थित था। वर्मी टैंक में ठीक प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा था। साथ ही गोबर की लकड़ी भी तैयार की जा रही है। सीएमओ ने बताया कि इसके विक्रय के लिए चर्चा कर ली गई है। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि इनका उपयोग शीतलहर के दौरान रैन बसेरों में भी करें।

गार्डन हुआ दुरूस्त

कलेक्टर ने बीते दौरे में धमधा में गार्डन की अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इस बार यहाँ गार्डन दुरूस्त कर दिया गया था। कलेक्टर ने यहाँ सौंदर्यीकरण के अन्य कार्यों के निर्देश भी दिये। इसके लिए तीन लाख रुपए भी दिये जाने के निर्देश दिये।

सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे अपर कलेक्टर सर्वे

रिसाली। स्वच्छता सर्वेक्षण के 6000 अंक में अधिक से अधिक अंक हासिल करने निगम रूट चार्ट तैयार कर सफाई कार्य को अभियान के तर्ज पर पूरा करने युद्धस्तर पर जुटा हुआ है। सफाई कार्य का अवलोकन करने अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे मार्निंग विजिट कर अल सुबह निगम वार्डों में पहुंच रहे है। आयुक्त अधिकारियों के पहुंचने के पहले ही पहुंचकर सफाई कार्यो का औचक निरीक्षण कर सफाई मित्रों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे है। कार्य में किसी तरह की चूक न हो इस पर विशेष नजर रखा जा रहा है। सफाई गैंग द्वारा रात्रिकालीन सफाई कार्य निगम के व्यवसायिक स्थलों पर पहुंचकर सड़क, नाली, चौक चौराहों की नियमित रूप से सफाई कार्य की जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के मापदण्डों पर खरा उतरने आयुक्त के निर्देश पर निगम के अधिकारी, जोनल, वार्ड सुपरवाइजर प्रतिदिन क्षेत्र की सड़क, नाली, चौक.चौराहों के अलावा वार्डों के शौचालयों की सफाई व्यवस्था का नियमित मॉनिटरिंग कर रहे है।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं SANJOY KUMAR CHAKRAVORTY S/O BHABESH CHANDRA CHAKRAVORTY निवासी - B-7, STREET NO.-10, ASHISH NAGAR WEST RISALI BHILAI, DISTT.-DURG (C.G.) 490006 यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम SANJAY KUMAR CHAKRAVORTY S/O BHABESH CHANDRA CHAKRAVORTY रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम SANJAY KUMAR CHAKRAVORTY S/O BHABESH CHANDRA CHAKRAVORTY से ही जाना पहचाना जावे।

SANJAY KUMAR CHAKRAVORTY
B-7, STREET NO.-10, ASHISH NAGAR WEST RISALI BHILAI, DISTT.-DURG (C.G.) 490006

नन्हें बच्चों ने महापौर को गुलाब देकर मांगा बैडमिंटन ग्राउंड

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम क्षेत्र के वार्ड 67 में विभिन्न विकास कार्यों के लिए आज महापौर एवं विधायक देवेन्द्र यादव ने वार्डवासियों की उपस्थिति में भूमिपूजन किया। सेक्टर 08 के वार्ड में 06 अलग अलग स्थानों पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। वार्ड में वृहद स्तर पर विकास कार्यों की सौगात मिलने से वार्ड के नागरिकों ने महापौर यादव का आत्मीय किया और वार्ड की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए लगाए जाने वाले पेवर ब्लॉक के लिए आभार व्यक्त किए। महापौर यादव के द्वारा वार्ड भ्रमण के दौरान वार्डवासियों ने पाथवे निर्माण की मांग किए थेए जिसे महापौर ने कार्य की स्वीकृति कराकर आज विकास कार्य की सौगात दिए। निगम क्षेत्र के जोन 01 नेहरूनगर अंतर्गत वार्ड 67 में 50 लाख की लागत से विकास कार्यों की शुरूआत करने महापौर यादव ने सेक्टर 08 के सड़क 11, सड़क 32, सड़क 20-21 के बीच तीन अलग.अलग स्थानों पर वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में भूमिपूजन किया। श्री यादव ने उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई शहर की सौंदर्यीकरण के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे है। बीसएपी क्षेत्र में भी निगम की ओर से विभिन्न सेक्टरों में खेल मैदान, वृहद स्तर पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सेक्टर 05 शहीद पार्क का लोकार्पण होगा। स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेल को लेकर निगम के सभी वार्डों में कार्य किए जा रहे है। सेक्टर क्षेत्र की पुरानी ग्लोरी को लौटाने तथा मूलभूत सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के लिए और भी विकास किए जाएंगे। कार्यक्रम पश्चात स्थानीय नागरिकों के साथ पेवर ब्लॉक लगने वाले स्थानों का दौरा किए। वार्ड के विभिन्न सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाए जाने से बारिश के सीजन में कीचड़ से निजात मिलने के साथ ही वार्ड की सुंदरता और स्वच्छता भी बढ़ेगी। भूमिपूजन में उपाध्यक्ष नीता लोधी, तुलसी साहू, महापौर परिषद की सदस्य सुभद्रा सिंह एवं लक्ष्मपति राजू, यशवंत धोटे, एल्डरमेन नरसिंहनाथ, केशव चौब, रमाकांत देशलहरे आदि उपस्थित थे।

श्री शंकराचार्य की निदेशक एवं प्राचार्या डॉ. रक्षा नैक टीम में शामिल

भिलाई। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी की निदेशक एवं प्राचार्या डॉ. रक्षा सिंह को भारत सरकार के नैक बैंगलोर (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद्) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान द्वारा निरीक्षण टीम हेतु नामांकित किया गया है। नैक का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों या उनकी इकाइयों, अथवा विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन एवं प्रत्ययन की व्यवस्था करना। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षण-अधिगम तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक परिवेश को प्रोत्साहित करना। उच्चतर शिक्षा में स्व-मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नव पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना तथा गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और संपोषण के लिए उच्चतर शिक्षा के अन्य हितधारकों को सहयोग प्रदान करना।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400347

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मिताली सरकार पति जयंत सरकार निवासी रिसाली भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 948/2 रकबा 0.023 हे. अर्थात 2500 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400346

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री गोवर्धन यादव अन्य 01 पिता रज्जू यादव निवासी मोहलई दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम चंदखुरी प.ह.न. 29 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1145/13 रकबा 0.009 हे. अर्थात 1000 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400475

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती बीना राजपूत पति सूर्यभान सिंह चंदेल निवासी बोरसी कालोनी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 667/38 रकबा 0.014 हे. अर्थात 1560 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400125

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती धनेश्वरी साहू जौ. उत्तम दीपक कुमार साहू निवासी नया आमापारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 796/20 रकबा 0.019 हे. अर्थात 2150 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400131

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री आनंद सिंह गुप्ता आ. स्व. बलवीर सिंह गुप्ता निवासी न्यू बस स्टैण्ड के पास दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 792 रकबा 0.015 हे. अर्थात 1605 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400082

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री गोपाल शुक्ला आ. रामनारायण शुक्ला निवासी दीपक नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 496/41 रकबा 0.012 हे. अर्थात 1350 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400098

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती झरना वर्मा पति श्री अरविंद कुमार वर्मा निवासी कोहका सुपेला भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 626/7 रकबा 0.022 हे. अर्थात 2400 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400132

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री नारायण कुमार सिन्हा आ. दयालराम ठाकुर निवासी सुभाषनगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 653/11 रकबा 0.014 हे. अर्थात 1500 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400597

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती देहुती मानिकपुरी पिता/पति स्व. मनीष मानिकपुरी निवासी कवर्धा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1270/24 रकबा 0.007 हे. अर्थात 800 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400550

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अनिल यादव आ. रामप्रसाद यादव निवासी बधिया टोला डोंगरगढ़ द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.न. 02 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1746/46 रकबा 0.010 हे. अर्थात 1250 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400551

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पद्मिनी साहू पति प्रेमशंकर साहू निवासी निपानी बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 749/2 रकबा 0.010 हे. अर्थात 1125 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400476

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी राजपूत पति श्री विष्णु सिंह राजपूत निवासी बोरसी कालोनी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 656/12, 657/12 रकबा 0.014 हे. अर्थात 1500 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400468

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती कमलेश्वरी साहू पति राधेश्याम साहू निवासी कसारीडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम अंजोरा प.ह.न. 02 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 143/31 रकबा 0.0130 हे. अर्थात 1400 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400470

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रोहित कुमार आहुजा आ. देवानंद आहुजा निवासी संतराबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 272/20 रकबा 0.011 हे. अर्थात 1160 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400166

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मनोज कुमार आ. राम विलासराम निवासी खुर्सीपार भिलाईनगर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 655/3 रकबा 0.014 हे. अर्थात 1500 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400131

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री नारायण कुमार सिन्हा आ. दयालराम सिन्हा निवासी सुभाषनगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 664/36 रकबा 0.020 हे. अर्थात 2135 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400612

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती बबली परते पति गिरिजा शंकर परते निवासी अंतागढ़ कांकेर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम चंदखुरी प.ह.न. 29 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1254/16 रकबा 0.0170 हे. अर्थात 1850 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400571

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुमीत चौधरी आ. एन.डी. चौधरी निवासी शांति नगर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 291/13 रकबा 0.030 हे. अर्थात 3060 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400601

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राजेश कुमार अन्य 01 आ. खेदू निवासी सिविक सेंटर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 298/19 रकबा 0.0250 हे. अर्थात 2750 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400451

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रेखा ठाकुर पति राजकुमार ठाकुर निवासी भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 719/5 रकबा 0.034 हे. अर्थात 3600 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400595

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अशोक कुमार तोलानी आ. स्व. अर्जुन दास तोलानी निवासी दल्लीराजहरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 338/23 रकबा 0.002 अर्थात 750 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400593

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अशोक कुमार तोलानी आ. स्व. अर्जुन दास तोलानी निवासी दल्लीराजहरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 357/46 रकबा 0.046 अर्थात 5000 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400594

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अशोक कुमार तोलानी आ. स्व. अर्जुन दास तोलानी निवासी दल्लीराजहरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 338/25 रकबा 0.014 अर्थात 1545 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202009100400047

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चंद्रप्रकाश आ. स्व. रामगरीता निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 341/19 रकबा 0.020 अर्थात 2310 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

सूने मकान का ताला तोड़कर 2 लाख 30 हजार नगदी रुपए चोरी

रायपुर। सूने मकान का ताला व कुंदा तोड़कर कमरे में प्रवेश कर बैग में रखा 2 लाख 30 हजार रुपये चोरी कर लेने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार होटल ताज के पीछे बैजनाथपारा में एक किराये के मकान में कुछ दिन पूर्व ही आए है। प्रार्थी मोहम्मद असरद दार 34 वर्ष पिता अब्दुल खालीद दार ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वे अनंतनाग जम्मू कश्मीर के रहने वाले है व बैजनाथपारा किराये के मकान में रहकर पीड़ि व अन्य तीन लोग फेरी का काम करते है। 30 दिसंबर को सुबह 10 से 2 बजे के मध्य किसी अज्ञात चोर ने प्रार्थी के मकान का ताला व कुंदा तोड़कर कमरे में प्रवेश कर बैग में रखा 2 लाख 30 हजार नगदी रुपये चोरी कर लिया। घटना की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। सीसी कैमरा फुटेज में एक व्यक्ति गली में आता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457,380 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

बबूल के पेड़ में लटकी मिली बुजुर्ग की लाश

रायपुर। बबूल के पेड़ में एक बुजुर्ग की फंदे से लटकी सड़ी-गली लाश मिली है। घटना की सूचना पर पण्डरी पुलिस ने मौके पर पहुंच लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पण्डरी थानाक्षेत्र स्थित जब्बार नाला के पास झाड़ियों में एक बबूल के पेड़ में 50 से 55 वर्ष के बुजुर्ग की लाश पेड़ से लटकी मिली है। शव काफी पुराना है। लक्ष्मी नगर निवासी एक बुजुर्ग के महीने भर पहले गायब हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज है,ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी व्यक्ति की लाश हो सकती है।

नाबालिग को अपहरण कर किया अनाचार

रायपुर। काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने की रिपोर्ट राखी थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार राखी थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि अप्रैल महीने में ज्यादा पैसा का काम दिलाने का लालच देकर कार में बैठाकर दुर्ग से नया रायपुर ले जाकर पारसराम साहु 48 वर्ष, तरुण 39 वर्ष व राजेश 27 वर्ष ने बारी-बारी से जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद दूसरे दिन पीड़िता के घर स्टेशन मौदा छोड़ किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। पीड़िता ने डर के कारण किसी को नही बतायी, लेकिन नाबालिग गर्भवती हो जाने की जानकारी मिलने पर आरोपियों ने उसे शादी करवाने का झांसा देकर धमतरी बुला लिया व दोबारा उसके साथ कार में दुष्कर्म किया।

अपने पाप हम पर मत मढ़िए, किसान विरोधी सारे पाप आपके हैं : त्रिवेदी

भाजपा किसान विरोधी नीति से देश के किसान परेशान

■ **सारी समस्याओं की जड़ में केंद्र की भाजपा सरकार और उसकी किसान विरोधी नीतियां ही हैं**

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के धान खरीदी के संबंध में किए गए ट्वीट पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह जी अपने पाप दूसरों पर न मढ़ें। किसान विरोधी सारे पाप रमन सिंह जी और उनकी पार्टी भाजपा ने किए हैं। आज पूरे देश के किसान भाजपा की केंद्र सरकार के किसान विरोधी फैसलों को लेकर आंदोलित हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी का काम ठीक चल रहा है। पूरे देश में किसानों की समस्याएं हो रही हैं उसके लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार और उसकी नीतियां ही दोषी हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि देश के किसानों से भाजपा ने 2022 तक आय दुगनी करने का वादा किया लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा किया और वो भी नहीं किया लेकिन मोदी सरकार का वादा और दावा दोनों फर्जी है। भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बार दाने देने में बाधा डाली गई। राज्य को जितने बारदाने की ज़रूरत थी उसमें कटौती की गई और अब जितना वादा था उतना बारदाना भी नहीं दिया जा रहा है। एफसीआई में चावल लेने की अनुमत केंद्र सरकार को देनी है। चावल लेने का आदेश देने के बावजूद एफसीआई गोदामों में चावल रखने की अनुमति न देकर भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बाधाएं डालने का कुचक्र कर रही है। केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा कर भाजपा के किसान विरोधी चरित्र पर पर्दा डालने की साजिश रच रहे हैं।

पूर्व सीएम और भाजपा किसानों के कर रहे गुमराह

छत्तीसगढ़ के किसानों को रमन सिंह और भाजपा गुमराह नहीं कर सकते। किसान जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह जी की सरकार रही तब तक किसानों को किस तरह ठगा जाता रहा। न समर्थन मूल्य का वादा पूरा हुआ और न बोनस पांच साल तक मिला। चुनाव के समय मिला लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही बंद कर दिया गया। इन्हीं किसान विरोधी नीतियों के कारण भाजपा को 15 साल तक शासन करने के बाद छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने 15 सीट के लायक भी नहीं समझा। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार हर किसान का धान खरीदेगी और किसानों को पूरा पैसा मिलेगा।

हम ख़रीद रहे हैं ज्यादा धान

प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 15 साल में भाजपा सरकार ने औसत 50 लाख मिट्रिक टन धान भी नहीं खरीदा लेकिन पिछले साल 2018-19 में भूपेश बघेल जी की सरकार ने 80 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान 2500 रु. में खरीदा। 2019-20 में भी 15 लाख 71 हजार की जगह 19 लाख 52 हजार किसानों का पंजीयन किया गया और 83 लाख टन धान कांग्रेस की सरकार के द्वारा खरीदा गया है। कांग्रेस सरकार ने 2019-20 में धान खरीदी में अपना ही पिछले साल 2018-19 का रिकार्ड तोड़ा। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और भाजपा सरकार की औसत खरीदी जितना धान 45 लाख टन तो कांग्रेस सरकार खरीद चुकी है। अपने 15 वर्षो के शासनकाल में तो रमन सिंह सरकार ने 7 वर्षो में इतना धान भी नहीं खरीदा था।

मर मत

रायपुर(नवप्रदेश)। पुराने कांग्रेसी भवन का मरम्मत कार्य हो रहा है, इस अवसर पर विधायक अमितेश शुक्ला निरीक्षण करते हुए।

नाबालिग लापता, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर। नाबालिग लड़की के घर से बिना बताए कही चले जाने पर परिजनों ने घटना की रिपोर्ट खरोरा थाने में दर्ज करायी है। मिली जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर को खरोरा निवासी पीड़ित 51 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी की नाबालिग बेटी उम्र 17 वर्ष 5 माह घर से बिना बताए 29 दिसंबर को कही चली गई है। आस-पड़ोस व रिश्तेदारों से पता करने पर उसका पता नही चला। जिसके बाद प्रार्थी ने आशंका जताया है कि किसी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया है।

छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को केन्द्र आज करेगा सम्मानीत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर मकान योजना को देश भर में प्रशंसा मिली है। भारत सरकार द्वारा इस मॉडल को पुरस्कृत करने के लिए चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विशेष उपलब्धि पर 1 जनवरी 2021को प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने राज्य के नागरिकों और नगरीय प्रशासन विभाग को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों और आवासहीन परिवारों को पक्का मकान मिले। मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने मोर जमीन मोर मकान के माध्यम से प्रत्येक गरीब और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में आगे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की बात कहीं और नागरिकों को बधाई दी है। भारत सरकार द्वारा इस बहुप्रतीक्षित पुरस्कार की घोषणा की गई है।

प्रत्येक गरीब और बेघर परिवार को मिलेगा मकान

हाट बाजार क्लीनिक ग्रामीणों के लिए बनी संजीवनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के लिए हाट बाजार क्लीनिक संजीवनी साबित हुए हैं। गांव में स्वस्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हाट बाजार क्लीनिक बाजार के दिन लगाए जा रहे हैं। हाट बाजार में मेडिकल टीम जरूरतमंद लोगों का इलाज कर रही है। मरीजों की जरूरी जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं और आवश्यकतानुसार चिकित्सीय परामर्श दिया जा रहा है।कोरबा जिले के तरदा गांव के हाट बाजार में नजदीक के गांव से 12 वर्षीय दर्शन अपने दादाजी के साथ अपने गांव के नजदीक साप्ताहिक बाजार करने ग्राम तरदा पहुंचा था। अपने दादाजी के साथ बालक दर्शन हंसी-खुशी से सामान की खरीददारी कर रहा था। शाम को साढ़े चार बजे बालक दर्शन को अचानक चक्कर आया। चक्कर आने के कारण दर्शन लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। दर्शन को गिरते देख दर्शन के दादाजी तत्काल बालक को अपनी गोद में उठाकर बाजार में संचालित हो रहे मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक की तरफ भागे। हाट बाजार क्लीनिक में मौजूद ग्रामीण चिकित्सा सहायक डॉक्टर पूर्णानंद सोनी और नर्स ने बच्चे की हालत को देखकर तत्काल पास के रखे टेबल में लिटाया। डॉक्टर ने तुरंत बालक दर्शन की आंख, मुंह, नाड़ी की जांच की। डॉक्टर के जांच करने के दौरान ही नर्स ने ओ. आर. एस. घोल तैयार कर ले आयी। बालक को तुरंत ही शरीर में पानी की कमी दूर करने ओ. आर. एस. घोल पिलाया गया। ओ. आर. एस. घोल पीते ही बालक के शरीर में ताकत आई और वह अपने बल पर बैठ गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने पाया कि दर्शन के शरीर में खून की बहुत कमी है। डॉक्टर ने खून की भारी कमी के कारण दर्शन को चक्कर आने की बात कही। डॉ. ने दर्शन को एनीमिया ग्रस्त होने के कारण फोलिक एसिड की गोली भी दी। डॉक्टर ने दर्शन के दादाजी को ओ. आर. एस. का पैकेट दिया और नियमित अंतराल में दर्शन को पिलाने की सलाह भी दी। बालक को अपने बल पर बैठे देख दादाजी के चेहरे पर संतुष्टि और मुस्कान आई।

शराब पीने नही मिले किया चाकू से वार

रायपुर। शराब पीने के लिये पैसा नही देने पर धारदार औजार व चाकू से मारकर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट गोलबाजार व टिकरापारा थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मौदहापारा रायपुर निवासी अब्दुल सलाम 29 वर्ष ने गोलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि शेरु नामक लड़के ने 30 दिसंबर को रात 8.45 बजे पुराना बस स्टैण्ड में प्रार्थी से शराब खरीदने के लिये पैसा मांगा नही देने पर गाली-गलौच कर धारदार औजार से मारकर चोट पहुंचाया। इसी तरह ढेबर सिटी भाठागांव रायपुर निवासी कौशल किशोर डांगी 49 वर्ष ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 28 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दुर्गा मंदिर के आगे मठपुरैना रोड के पास प्रार्थी पेशाब करने के लिये रुका था तभी मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नही है कहने पर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर चाकू से जांघ के पीछे मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से कार व बाईक सवार की मौत

धरसींवा व अभनपुर थाने में ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज

रायपुर। तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से धरसींवा व अभनपुर थानाक्षेत्र में दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मकान नंबर एफ 56 सुन्दरनगर सरस्वतीनगर निवासी विनय सिंह ठाकुर की शिकायत दर्ज करायी है कि 30 दिसंबर को 11 बजे धनेली रोड धरसींवा के पास अज्ञात ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुये मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 4 डीएक्स 5701 से जा रहे आयुश सिह क्षत्रिय 26 वर्ष पिता गणेश सिह को ठोकर मार दिया। जिसके चलते घटना स्थल पर ही बाईक सवार युवक की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। इसी तरह अभनपुर थाने में गरियाबंद निवासी लुकेश वर्मा 28 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 30 दिसंबर को शाम 5.30 बजे एनएच मार्ग 43 छत्तीसगढ़ ढाबा के पास अभनपुर में तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 18 के 1807 ने कार क्रमांक सीजी 04 एचसी 7773 को एक्सीडेन्ट कर दिया। जिसके चलते कार में बैठे चंद्र प्रकाश वर्मा 52 वर्ष पिता रिखी राम वर्मा निवासी पुलिस लाईन गरियाबंद की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर ट्रक चालक के खिलाफ धारा 304 ए 279 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

नई गाइड लाईन | **1069 नए कोरोना पाजीटिव मरीज मिले**

कोरोना संक्रमण से 122 स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज

■ **14 की हुई उपचार के दौरान मृत्यु**

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। कोरोना वायरस कोविड 19 का कहर ब्रिटेन में द्वितीय चरण में जमकर नागरिकों को संक्रमित कर रहा है। ब्रिटेन ने विश्व के अन्य देशों से वैदेशिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है वहीं भारत में ब्रिटेन से पूर्व में आए अनेक नागरिकों के संक्रमित होने के साथ ही 31 दिसंबर तक विमान सेवा में प्रतिबंध लगाने के बाद भी खतरा टला नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ ब्रिटेन से लौटे एनआरआई की खोज खबर पुलिस प्रशासन द्वारा ली जा रही है। जानकारी के अभाव में कोरोना संक्रमण के फिर से सक्रिय होकर बड़ी आबादी को चपेट में लेने का अंदेशा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के द्वितीय चरण में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए राज्य शासन ने भी राजधानी सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण से जमकर टक्कर लेने की पूरी तैयारी कर ली है। नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय के अनुसार अभी भी कोरोना गाइड लाइन के अनुसार सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉ. पांडेय ने आम लोगों से जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक मास्क पहनकर अन्य सावधानी बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार रात 8 बजे की स्थिति में प्रदेश से कुल 122 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई है। नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय के अनुसार 1069 नये कोरोना पाजीटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। अब तक प्रदेश में कुल 2 लाख 78,540 मरीज कोरोना पाजीटिव के पाये गये है जिनमें अस्पताल से अब तक 94,511 मरीज कोरोना उपचार के दौरान स्वस्थ होकर अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। गत 24 घंटे में होम आइसोलेशन से 1348 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर अब तक 1 लाख 68,740 मरीज स्वस्थ होकर अपनी दिनचर्या रोजाना की जारी रखने में सफल हुए हैं।

उपचार के दौरान 14 मरीजों की मौत

प्रदेश में 1470 मरीज गत 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए है अब तक प्रदेश में 2,63,291 मरीज इलाज के दौरान शासकीय अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में पंजी में दर्ज होकर समुचित उपचार का लाभ लेकर ठीक हो गये हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 11,939 है। उपचार के दौरान 14 मरीजों की मृत्यु हुई है जिनमें कोविड-19 के 3 एवं को मार्बिडिटी के 11 मरीज शामिल है। गत 24 घंटे में 28,831 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया है। जिलावार कोरोना मरीजों की स्थिति इस प्रकार है- दुर्ग 118, राजनांदगांव 83, बालोद 29, बेमेतरा 16, कबीरधाम 8, रायपुर 175, धमतरी 31, बलौदाबाजार 61, महासमुंद 39, गरियाबंद 08, बिलासपुर 92, रायगढ़ 75, कोरबा 59, जांजगीर चांपा 49 मुंगेली 10, पेंड्रा गौरेला मरवाही 4, सरगुजा 50, कोरिया 26, सूरजपुर 39, बलरामपुर 37, जशपुर 19, बस्तर 7, कोंडागांव 9, दंतेवाड़ा 4, कांकेर 18,सुकमा 3, नारायणपुर बीजापुर एवं अन्य राज्य से कोई भी मरीज कोरोना पाजीटिव का नहीं मिला है।

तेन्दूपत्ता : राज्य में अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत

रायपुर। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल निर्देशन में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में सामूहिक सुरक्षा योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। अपर प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री एस.एस. बजाज ने बताया कि इसके तहत राज्य में चालू वर्ष के दौरान अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख 52 हजार रूपए की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें स्वीकृत राशि संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। गौरतलब है कि सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया अथवा दावेदार को 12 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। इसका संचालन तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत कांकेर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, पश्चिम भानुप्रतापुर वन मंडल के 11 प्रकरणों में एक लाख 32 हजार रूपए, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के 13 प्रकरणों में एक लाख 56 हजार रूपए, नारायणपुर वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा केशकाल वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इनमें बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत रायगढ़ वन मंडल के 25 प्रकरणों में 3 लाख रूपए, धरमजयगढ़ वन मंडल के 21 प्रकरणों में 2 लाख 52 हजार रूपए, कटघोरा वन मंडल के 19 प्रकरणों में 2 लाख 28 हजार रूपए, कोरबा वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए, बिलासपुर वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल के 2 प्रकरणों में 24 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव वन मंडल के 56 प्रकरणों में छह लाख 72 हजार रूपए, बालोद वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा कवर्धा वन मंडल के 6 प्रकरणों में 72 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसी तरह रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत गरियाबंद वन मंडल के 29 प्रकरणों में 3 लाख 48 हजार रूपए, धमतरी वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, महासमुंद वन मंडल के 23 प्रकरणों में 2 लाख 76 हजार रूपए, बलौदाबाजार वन मंडल के एक प्रकरण में 12 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत जशपुर वन मंडल के 30 प्रकरणों में 3 लाख 60 हजार रूपए, बलरामपुर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, सूरजपुर वन मंडल के 10 प्रकरणों में एक लाख 20 हजार रूपए, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा सरगुजा वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

संपादकीय

बीती ताहि बिसारना होगा

2020 अपने पीछे खट्टी, मीठी, कड़वी और कसैली यादे छोड़ कर आखिर कार विदा हो गया। देश और दुनिया में जान लेवा कोरोना वायरस फैलने की वजह से 2020 को लोगों ने कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी इस साल से जल्द से जल्द छुटकारा पाने की कामना करते रहे, जबकि इस त्रासदी के पीछे 2020 का कोई हाथ नहीं रहा। हर साल की तरह यह भी एक सामान्य साल था जिसका लोगों ने इसकी शुरूआत में जश्न मनाकर स्वागत किया था और उसी जश्न के साथ इसकी विदाई भी की है। 2020 ने हमें कई सबक सिखाएं है। कोरोना काल के चलते इस साल के कई महीने तो लॉकडाउन रहा जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई और बड़ी संख्या में लागों के हाथों से रोजगार चला गया। कोरोना की वजह से कई लोगों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा, सामाजिक दूरी घटी, इसके बावजूद 2020 ने हमे काफी कुछ दिया है। नदियां साफ हुई, हवा साफ हुई और लंबे अरसे के बाद लोगों ने अपने आस पास पक्षियों की चहचआहट सुनी, पर्यावरण के संरक्षण में 2020 के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। यह ठीक है कि 2020 में हम सब ने खोया ज्यादा है और पाया कम है लेकिन जो पाया है उसे संभाल कर रखा जाए तो आने वाले सालों में ऐसी किसी भी चुनौतियों से निपटने में हम सक्षम रहेंगे। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी भी कहर ढा रहा है अब तो कोरोना के नए स्ट्रेन ने कोहराम माचाना शुरू कर दिया है,उससे आगे चल कर क्या स्थिति बनेगी यह कह पाना मुहाल है। 2020 के कड़वे अनुभवों से हम आने वाली चुनौती का पूरे साहस के साथ सामना कर सकते है, इसे 2020 की उपलब्धि भी माना जा सकता है, जिसने हमे सावधानी और सतर्कता का सबक सिखाया है। यह ठीक है कि 2020 ने हमे दर्द ज्यादा दिया है लेकिन अब उसे याद करने से कोई फायदा नहीं जो हुआ सो हुआ अब हमे बीती ताहि बसार कर आगे की सुध लेना होगा। 2021 में हम पुरीनी गलतियां न दोहराएं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ की प्रवृत्ति का परित्याग करें तभी नया साल हमारे लिए खुशगवार बनेगा। नया साल नए संकल्पों का, नए सपनों का और नए नई उपलब्धियों का साल बने। सभी को नित नई खुशियां मिले इसी मंगल कामना के साथ सभी सुधी पाठकों और देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

विचार

कोरोना से जुड़े सवाल

कुछ घंटों का मेहमान रह गया साल 2020 जिस अकेली वजह से इतिहास में दर्ज करने लायक माना जाएगा, वह है कोरोना वायरस। महामारियों ने वैसे तो कई बार मानव इतिहास की धारा मोड़ी है, पर इतनी तेजी से फैलकर महीनों-महीनों पूरी दुनिया का चक्का जाम कर देने वाली किसी बीमारी का जिक्र सुदूर अतीत में भी कहीं दर्ज नहीं मिलता। तथ्यों पर जाएं तो कोरोना वायरस का इंसानी शरीर में संक्रमण पिछले साल ही हो गया था, लेकिन महामारी के रूप में अपना वीभत्स चेहरा इसने इसी साल दिखाया। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस 30 जनवरी को सामने आया और अभी, दिसंबर के आखिर में जब प्रतिदिन आने वाले नए मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है, तब ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में इस वायरस के बड़े रूपांतरण की खबरों ने सबको एक बार फिर सकते में डाल दिया है।

तमाम सावधानियों के बावजूद ब्रिटेन में चिह्नित नए वायरस से संक्रमण के मामले भारत पहुंच चुके हैं और यहां अब तक 20 ऐसे मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जाहिर है, इन नए संक्रमणों को ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचाव की रणनीति की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ेगी। बहरहाल, इस एक साल के दौरान अदृश्य दुश्मन से ठनी इस लड़ाई में संघर्ष, साहस और वैज्ञानिक कौशल की एक से एक मिसालें देखने को मिलीं। एक तरफ वैज्ञानिक इसका तोड़ निकालने में जुटे रहे, दूसरी ओर चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों और पुलिसकर्मियों समेत पूरा सरकारी अमला दिन-रात बीमारों को बचाने और आवश्यक सेवाएं जारी रखने में जुटा रहा। त्याग और बलिदान की ऐसी कहानियां हर देश से आती रहीं। खासकर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहां लॉकडाउन का फैसला अपरिहार्य था, लेकिन इसने बड़े शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूरों और उनके परिवारों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। उस स्थिति में कोई और हल न पाकर लाखों लोग जिस तरह से अपने बच्चों की उंगली पकड़े सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल नापते हुए अपने-अपने गांव पहुंचे, वह भारत के श्रमजीवी समाज की बेचारगी और जिजीविषा, दोनों का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुनिया के स्तर पर देखें तो यह वायरस अब तक सवा आठ करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है और 18 लाख से ज्यादा लोग इसकी वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस बीमारी ने किसी एक देश में सबसे ज्यादा कहर ढाया तो वह है विश्व का सबसे विकसित और ताकतवर समझा जाने वाला देश अमेरिका। वहां 2 करोड़ लोग इससे संक्रमित हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी साढ़े तीन लाख के पार जा रही है। इससे सीधा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि हमने विकास के जो मानक तय कर रखे हैं वे कितने उपयुक्त हैं और स्वास्थ्य का जो ढांचा खड़ा किया है वह कितना कारगर है। बीतता साल ये दोनों सवाल हमारे सामने छोड़कर जा रहा है।

आशा और उम्मीदों से भरा हो नया साल

राजेश माहेश्वरी

> स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की एक सूची जारी की है, जिनसे दुनिया को 2021 में निपटना पड़ेगा. इसका कारण कोरोना वायरस को माना जा रहा है, जिसके पूरी दुनिया में 1.75 मिलियन से ज्यादा केस सामने आने के चलते कई देशों की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि महामारी ने पिछले 20 सालों में हासिल की गई हेल्थ सिस्टम की प्रगति को पीछे खींच लिया है। 2021 में दुनिया को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी अगर वैक्सीन को प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 ने हमें मौका दिया है कि हम एक बार फिर 'बेहतर, हरियाली से भरी और स्वस्थ दुनिया' का निर्माण करें। स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए देशों को अधिक से अधिक एकजुटता प्रदर्शित की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि देशों, संस्थानों, समुदायों और व्यक्तियों को अपनी आपसी दरारें बंद करनी होगी. अब ब्रिटेन का नया स्ट्रेन सामने आने से सरकार की चिंता बढ़ गई है।

वर्ष 2020 अपने अंत की ओर है। अब हमारे सामने नया साल है। जाते हुए साल ने देश और दुनिया को कई दर्द और बुरी यादें दी हैं। दर्द, दुख-तकलीफ और परेशानियों को कोई याद नहीं रखना चाहता है। कोरोना महामारी ने 2020 को पूरी तरह निगल-सा लिया। सारी दुनिया इस वायरस से परेशान हो गयी। लेकिन साल का अंत निकट आते-आते वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन खोज ली है। कई देशों में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका है। हमारे देश के चार राज्यों में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो गया है। नये साल में देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा।

कोरोना की मार से विश्वभर की अर्थव्यवस्थाएं कराह रही हैं। लेकिन इन सबके बीच भारतीय रिजर्व बैंक इस दौरान बेहद मुस्तैद रहा है और आम लोगों के साथ उद्योग को कई तरह से राहत देकर इस आर्थिक चुनौती से निपटने की कोशिश की है। उसका सुखद और सकारात्मक उपसंहार यह है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से पहले के दौर में लौटने लगी है। हालांकि, खुदरा महंगाई की ऊंची दर और कमजोर रुपया उसके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रिजर्व बैंक के लिए वर्ष 2021 में भी इस चुनौती से निपटना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बॉन्ड पर घटते रिटर्न से विदेशी निवेशक सहम सकते हैं जिन्होंने इस साल भारतीय बाजार में रिकॉर्ड 22 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं शेयर बाजार को लेकर उम्मीद से अधिक उत्साह भी रिजर्व बैंक की परेशानी बढ़ा सकता है। भारत के शेयर बाजार में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक उसे अपने पास समायोजित कर रहा है। इससे मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और रुपये की मजबूती पर लगाम लग रही है। एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि यदि आर्थिक गतिविधियों की गतिशीलता और बहाली यही बनी रहती है, तो अर्थव्यवस्था की विकास दर करीब 2 फीसदी बढ़ सकती है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था की बहाली और गति का स्तर ऐसा ही रहा, तो

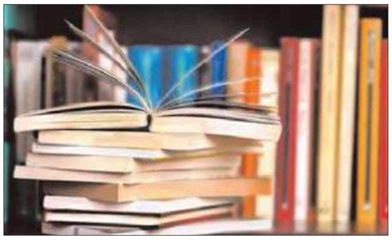

तीसरी तिमाही के बाद विकास दर सकारात्मक हो जानी चाहिए। यदि आर्थिक गतिशीलता ऐसी ही बरकरार रही, तो चैथी तिमाही में अर्थव्यवस्था एक ऊंची छलांग लगाते हुए, मौजूदा संकेतकों से भी, बेहतर हो सकती है। अर्थव्यवस्था के सकारात्मक होने के आधार और संकेत भी स्पष्ट हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि बाजार में मांग बढ़ रही है। बाजारों में रौनक और उल्लास लौट रहे हैं और लोग खरीददारी कर रहे हैं। जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। उत्पादन और विनिर्माण गतिविधियों ने भी जोर पकड़ा है। सेवा क्षेत्र में भी उछाल तो आया है, लेकिन सघन संपर्क वाली सेवाओं के संकेत फिलहाल कोरोना से पहले के दौर से भी नीचे हैं। इनमें सुधार अपेक्षित है। आर्थिक गतिविधियां लगातार जारी हैं और नए सिरे से गति पकड़ने की संभावनाएं भी हैं। कोरोना टीके के शीघ्र आने से भी औसत घर की मांग सशक्त होगी। बहरहाल अर्थशास्त्री यह भी आकलन कर रहे हैं कि इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या बनी रहेगी, जो अभी 6 फीसदी से अधिक बनी हुई है। बेशक कुछ चुनौतियां तो अब भी बरकरार रहेंगी, लेकिन अर्थव्यवस्था की यह करवट भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

आर्थिक मोर्चे के बाद राजनीतिक फ्रंट पर भी नये साल में बहुत कुछ होगा। देश के पांच राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। तमिलनाड, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी वो पांच राज्य हैं जहां विधानसभा चुनावों के लिए छह महीने का समय बमुश्किल बाकी है। अप्रैल या मई में इन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच समीकरण साधने की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल में संपन्न हुए बिहार चुनावों के बाद सियासी पार्टियों से लेकर आयोग तक के सामने कई पहलू विचारणीय हो गए हैं। वहीं नये कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन की गूंज नये साल में भी सियासी गलियारों में सुनाई देगी। असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना अगले वर्ष के लिए ईपीएफओ की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। अपनी कई मौजूदा योजनाओं को बदलते वक्त के हिसाब से नया कलेवर देना और नई नियुक्तियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मुहैया कराने जैसी चुनौतियां भी नए वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के समक्ष होंगी। जानकारों के मुताबिक सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहती है, उसे देखते हुए नए वर्ष में नौकरियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। वर्तमान में ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के छह करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ मुहैया कराता है। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी पहली अप्रैल से सामाजिक सुरक्षा संहिता भी लागू होने की उम्मीद है। उसके बाद असंगठित क्षेत्र के कामगार भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।

नये साल की शुरूआत हरिद्वार कुंभ से होगी। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ भारत की धर्म, आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा और महान प्रतीक है। कुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल होते हैं। ऐसे में कोई भी रियायत कोरोना संक्रमण की दर को बढ़ा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनकर खड़ा है। इस पिद्दी वायरस ने दुनिया के महाशक्तिशाली देशों को भी घुटने पर ला दिया है लेकिन जरूरत इससे डरने की नहीं। हौसले और हिम्मत के साथ इसका सामना करने की है चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी हो, मुसीबत की घड़ी में इनमें से किसी ने हौसला नहीं छोड़ा। इसका नतीजा सामने है। आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा कृषि, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और मंहगाई आदि अनेक मोर्चों पर चुनौतियां बरकरार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा क्षेत्र, खेल और तमाम अन्य मोर्चों पर अच्छी खबरें लगातार सामने आ रही हैं।

जो आज नया है, वह कल पुराना होगा

विजय मिश्रा

> नये से पुराने हो जाने की दशा को पुराना कैलेण्डर बूढ़ापा कहने के बजाय ''अनिवार्य सुखद परिवर्तन'' का नाम दे रहा था। वर्षभर दीपावली, ईद, क्रिसमस, प्रकाश पर्व जैसे अनगिनत पर्वों के दिवस की जानकारी जनमन को देने के सुख की लकीर बारम्बार उसके चेहरे पर उभर रही थी। वह बयां कर रहा था कि विविध पर्वो के पीछे निहित भावनाओं और उद्देश्य के अनुरूप आचरण व्यवहार करेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि उमंग, उल्लास, भाईचारा, मानवता, प्रेम,ज्ञान, परोपकार, नर्मता के भाव कभी वृद्ध नहीं होते। ऐसे गुणों के बीज को बोने, उगने और बढ़ने देने की ललक हमेशा मानव मन को युवा बनाये रखता है।

प्रतिवर्षानुसार 31 दिसम्बर को जनसमुदाय नववर्ष के स्वागत के लिए उल्लास में डूबे हुये जश्न की तैयारी में दिखाई दे रहा है। वहीं वर्ष 2020 का कैलेण्डर अपने अस्तित्व को सदा सदा के लिए समाप्त होने की अंतिम घड़ी की ओर टकटकी लगाये ताकते दिखा। उसे इस बात का अहसास हो रहा था कि जो कैलेण्डर रोज रोज तारीख बदलता रहा, उसी कैलेण्डर को 31 दिसम्बर की तारीख ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जिंदगी का भी यही फलसफा है, जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। जो आज नया है, वह कल निश्चित रूप से पुराना होगा। पुराना कैलेण्डर इस सच्चाई को स्वीकारने और हर दिन हर पल को भरपूर आनंद से जीने का संदेशा दे गया। वह अंत का नहीं, नवजीवन का उद्घोष करते हुए संदेश दे रहा था- ''पौधों से गिरते पीले पत्तों ने बताया है कि जिंदगी का यह अंत नहीं, यह तो केवल साया है।'' पुराने कैलेण्डर के चेहरे पर झुर्री और शरीर पर जर्जरता के भाव नहीं दिखे, बल्कि सफल सशक्त जीवन को पूरा करने का भाव वह व्यक्त कर रहा था। ढलते साल, सठियाना, पक जाना जैसे विचारों से कहीं अलग वह पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यनिर्वहन करने की चमक अपने चेहरे पर बनाये हुए मुस्कान बिखेर रहा था। ऑखे नम करके चेहरा लटकाने के बजाय आत्मसंतोष का भाव लिए उसके फड़फड़ाते हुये पन्ने आंतरिक प्रसन्नता में डूबे सुमधुर गीत गुनगुना रहे थे।

नववर्ष के कैलेण्डर के लिए उसे अपनी जगह को छोड़ने का गम कम तथा खुशी अधिक थी, दरअसल उसने हर दिवस की महत्ता को हर दिन ईमानदारी से उजागर कर अपनी कर्तव्यपरायणता को निर्विवाद निभाया था। एक कैलेण्डर होने के धर्म को बखूबी निभाते हुये 2020 का कैलेण्डर संकेत दे गया कि संतोष की जिंदगी पाने का यही सूत्र है। पुराने कैलेण्डर के माथे पर कोरोना वायरस कोविड 19 सदा सदा के लिए कलंकित टीका की तरह दर्ज हो गया था। इसे भी सहते हुए कैलेण्डर संदेश दे रहा था कि जीवन में बुरे दौर से निपटने के लिए सदैव शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। नये से पुराने हो जाने की दशा को पुराना कैलेण्डर बूढ़ापा कहने के बजाय ''अनिवार्य सुखद परिवर्तन'' का नाम दे रहा था। वर्षभर दीपावली, ईद, क्रिसमस, प्रकाश पर्व जैसे अनगिनत पर्वों के दिवस की जानकारी जनमन को देने के सुख की लकीर बारम्बार उसके चेहरे पर उभर रही थी। वह बयां कर रहा था कि विविध पर्वों के पीछे निहित भावनाओं और उद्देश्य के अनुरूप आचरण व्यवहार करेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि उमंग, उल्लास, भाईचारा, मानवता, प्रेम,ज्ञान, परोपकार, नर्मता के भाव कभी वृद्ध नहीं होते। ऐसे गुणों के बीज को बोने, उगने और बढ़ने देने की ललक हमेशा मानव मन को युवा बनाये रखता है।

वर्षांत में सेवानिवृत्त होता हुआ कैलेण्डर यह भी कह रहा था कि दिन पर दिन गिनते हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो मुट्ठी में भरी रेत की तरह जिंदगी फिसल कर निकल जायेगी। दिन बीतते जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, आगे क्या होगा जैसे विचार-सवाल में उलझे रहने से तो असमय ही निश्चित रूप से बूढ़ापा एक रोग की तरह घेर लेगा। इससे बचने का आसान उपाय यही है कि हर दिन को नई ऊर्जा के साथ नयापन से भर दें। इसी सकारात्मक सोच को उजागर करते कैलेण्डर ने आखिरी दिन तक अपनी महत्ता को बनाये रखा।

बूढ़ा होना प्रकृति का नियम है, अतः बूढ़ा हो रहा हूँ के गम में डूबने के बजाय कैलेण्डर यह सोचकर खुश होता रहा कि अपने अच्छे कर्मों से सेवाकाल को संपन्न कर सिर उठाये सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। उसका यह आत्मविश्वास उसे हर दिन सर्वश्रेष्ठ होने का तमगा देता रहा। अपनी योग्यता को परखते-प्रदर्शित करते स्वयं को सशक्त बनाये हुये किसी भी प्रकार की कुंठा-ठहराव की स्थिति से निर्भय बना रहा, फलस्वरूप वह प्रथम दिवस से जिस कील पर, दीवार की उस जगह पर जहॉं वह स्थापित हुआ था, उसे अंत तक यथावत अपने लिए सुरक्षित बनाये रखा। अंतिम दिवस पर कैलेण्डर मुस्कान बिखेरते हुये कह गया।

कुछ जीत अभी बाकी है, कुछ हार अभी बाकी है.
अब तक तो केवल एक अध्याय को पढ़ा है,
अभी तो पूरी किताब बाकी है।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

दिन बीते..साल धीरे

दिन बीते..साल धीरे-धीरे दिन.. साल में गुज़र गए.. वक़्त याद बन... कभी दिल में बस .. कभी दिल से उतर गए.. एक लम्हा,एक फरियाद.. एक चाहत की तरह. .आस बन निखर गए.... वक़्त का हुनर देखिए साहब.. मुस्कराहट के साथ .... हर एहसासों को.. अपने हौसलें में जी कर.. ज़िंदगी में सवंर गए...!!

–नंदिता तनूजा

2020 ने हमे कुछ

2020 ने हमे कुछ दिया या लिया , ये महत्वपूर्ण नही ...पर ये साल हमे एक बात जरूर सिखा गया कि इंसान योजनाएं बनाता है पर उनका पूरा होना या न होना पूर्णतया इशरीय सत्ता के हाथ मे ही है .. इस बीते साल ने बहुतों के जीवन मे बहुत कुछ बदल दिया अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर हम सत्कर्म करते रहें यही हमारा कर्तव्य है।

– रश्मि चौधरी

ख़ास पाती | कोरोना के कठिन काल का

कोरोना के कठिन काल का, कलुषित साल रहा। कितने जीवन निगल गया बस, यही मलाल रहा। कब तक रहिए क़ैद भूख की अपनी मजबूरी। काम बंद बिकते जेबर घर, छूटी मज़दूरी। इंतज़ाम सेवा सरकारी, सब बदहाल रहा। कितने जीवन निगल गया बस, यही मलाल रहा। अपनों के काँधों तक को तरस गये मुर्दे। कोविड से जो मरा लाश से निकल गये गुर्दे। बचा रहा वह जान देव, यह अंग दलाल रहा। कितने जीवन निगल गया बस, यही मलाल रहा। अब तक कोई दवा कारगर, न वैक्सीन बना। मानवता से इस विषाणु का, भीषण युद्ध ठना। मिले सफलता नये साल में, भ्रम यह साल रहा। कितने जीवन निगल गया बस, यही मलाल रहा।– **हरिवल्लभ शर्मा 'हरि'**

गुमां भूल जाएँ नए साल में

गुमां भूल जाएँ नए साल में हम लगा ले गले सबको नए साल में हम खिले फूल से हम हँसे मुस्कुराएं उदासी भगाएं नए साल में हम सितारे उतारें धरा झिलमिलाये करिश्मा दिखाएँ नए साल में हम उजाला बढ़ाएं तमस को मिटायें दिए मन जलाएं नए साल में हम नया रूप धर लें दुखों को भुला दें जिएं हकीकत नए साल में हम गिले हों न शिकवे रहें प्यार से हम क्षमा कर दे सबको नए साल में हम।

– ज्योत्सना सक्सेना

पन्ने पलटे साल के रखते क्या

पन्ने पलटे साल के , रखते क्या सम्हाल । अनहोनी बसा रखते ,दिलसे अभी निकाल ।। दिल से अभी निकाल ,सोच अब बदले जाओ। भूलकर दुःखद ध्यान , राह को नवल बनाओ।। जो मुस्कान बिखेर ,देख तब नवीन सपने । बीती ताहि बिसार ,लिखो अब नूतनपन्ने।

– नवीन कुमार

किसी के लिए आपके लिए प्यार

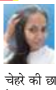

किसी के लिए आपके लिए प्यार उस हद तक जरूरी हो जाता है कि उसे मंदिर में मूरत की नही दिल मे आपके चेहरे की छाप की जरुरत हो जाती है इश्क़ इस हद तक पवित्र हो जाता है कि किसी का बिगड़ा काम आपके एक नजर देखने भर से सही हो जाता है या सही करने का हौसला मिल जाता है बस कमी होती है तो होंठो से इकरार की क्यूंकि मन तो बिन कहे प्यार किये जा रहा होता है और होंठ न कह कर भी सिर्फ आपका नाम जप रहे होते है अनकहा इश्क़ भी कमाल होता है। – **प्रिया मिश्र वेंणी**

श्वान राह में चिल्लाएँगे मत घबराना

श्वान राह में चिल्लाएँगे , मत घबराना , बढ़ जाना। बनकर कान्हाँ विषधर कालिय के फन पर तुम चढ़ जाना। आए हो जब इस दुनिया में,जाना भी निश्चित है 'अमित'- किंतु यहाँ से जाते - जाते नव इतिहास को गढ़ जाना। – **अमित कुमार दुबे**

रिश्ता हमारे बीच गहरा है इससे

रिश्ता हमारे बीच गहरा है इससे इंकार किसे है फर्क इतना है हम उगाते है तुम सिर्फखाते हो ! फरियाद अनसुनी कर जो यूँ आँखे दिखाते हो हमारे बनाये ही पुतले हो यह क्यूँ भूल जाते हो !

– जावेद उस्मानी

गुजरे जमाने के गुलशन से अभी

गुजरे जमाने के गुलशन से अभी चुन कर रख लिजिए चंद गुलाब यादों की किताब में ,,सकून देगी हर सूखी पंखुरी सर्द हवा का झोंका जीवन के पन्ने फड़फड़ा रहा है.. मुख्तसर हो रही जिंदगी दिसंबर जा रहा है..!!

– किरन भण्डारी

QUIZ TIME

1) मशरूम उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र किस जिले में लगाया जाएगा?
2) हर्रा प्रसंस्करण केन्द्र किस जिले में लगाया जाएगा?
3) हाल ही में किस बांध में विदेशी क्रूज चलाने की राज्य सरकार की योजना है?
4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर की सड़कें बनाई जाने हैं?
5) गोविन्द झुंझा जलप्रपात किस जिले में हैं? (भिलाई / कोरबा)

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) कांकेर (2) कांकेर (3) मिनीमाता बांगो बांध (4) 5612 कि.मी. (5) कोरबा

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 990- रूस ने जूलियन कैलेंडर अपनाया। 1515 - यहूदियों को आस्ट्रिया के लाइबाख से निष्कासित किया गया। 1583 - हॉलैंड और फ्लैंडर्स मे ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन। 1600 - स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय एक जनवरी से नये साल की शुरुआत। 1651 - चार्ल्स द्वितीय स्टुआर्ट स्कॉटलैंड के सम्राट बने। 1664 - छत्रपति शिवाजी ने सूरत अभियान शुरु किया। 1785 - डेली यूनिवर्सल रजिस्टर (टाइम्स ऑफ लंदन) का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1808 - सिएरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश बना। 1880 - देश में मनी आर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। 1894 - जाने माने वैज्ञानिक सत्येन्द्र नाथ बोस का कोलकाता में जन्म। 1915 - महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिये वायसरॉय ने केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया। 1928 - अमेरिका में पहला एयर कंडीशंड कार्यालय सेन एंतोनियो में खुला। 1949 - कश्मीर में युद्धविराम की घोषणा हुई। 1955 - भूटान ने पहला डाक टिकट जारी किया गया। 1971 - टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंध लगाया गया। 1974 - विश्व जनसंख्या वर्ष की शुरूआत हुई। 1978 - बॉम्बे (अब मुंबई) में एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग-747 विमान हादसे में 213 लोगों की मौत हुई। 2009 - थाइलैंड की राजधानी बैंकाक के एक नाइट क्लब में आग लगने से 61 लोगों की मौत हुई। 2013 - अंगोला के लुआंडा में भगदड़ में 10 लोग मारे गये और 120 घायल हुए।

अंक ज्योतिष से जाने कैसा होगा आपके लिए साल 2021

कुछ को धन लाभ तो कुछ को प्रमोशन, कुछ लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत

रायपुर/नवप्रदेश। आज से नववर्ष 2021 का आगाज हो रहा। हर नववर्ष की शुरुआत की तरह इस वर्ष भी आपके मन में यह जानने की इच्छा होगी कि ये साल आपके लिए कैसा होगा। हर क्षेत्र से जुड़े शख्स को यह जानने की चाह होती है कि उसके कार्यक्षेत्र में नए साल में क्या कुछ खास है। पढ़िए आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं का जवाब अंक ज्योतिष के नजरिए से...

मूलांक 1 यानी जन्मतिथि 1, 10, 19, 28 :

इस मूलांक के जातकों के लिए नया साल मान, सम्मान व उपहार लेकर आएगा। जिन युवक युवतियों की शादी नहीं हो पा रही है उनकी शादी होने की प्रबल संभावना है। धनलाभ के भी आसार हैं। इस मूलांक के लोगों को प्रेम में सफलता प्राप्त होने के आसार हैं। 1 मूलांक वालों के लिए 2021 निश्चित तौर पर फलदायी होगा।

मूलांक 2 यानी जन्मतिथि 2, 11, 29, 20

इन तारीखों पर जन्म लेने वालों के लिए नया साल रहस्यों से भरा रहेगा। इस मूलांक का जातक चाहे नौकरी पेशे वाला हो या व्यवसायी उसके साथ नई चीजें होंगी। इनके साथ वर्ष 2021 में अलौकिक शक्ति का साथ होगा, जिससे अप्रत्याशित लाभ होगा। यात्रा व सफलता निश्चित है। वर्ष रिसर्च व खोज से भरा रहेगा। कुछ उपाय करने से लक्ष्मीकृपा भी होगी।

मूलांक 3 यानी जन्मतिथि 3, 12, 31, 30

इन जन्मतिथियों वाले जातकों को वर्ष 2021 में सावधान व सतर्क रहने की जरूर है। नए साल में इन्हें गुप्त शत्रुबाधा का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में तंत्र बंधन के भी संकेत हैं। बाइक व अन्य वाहन संभलकर चलाना होगा अन्यथा दुर्घटनाओं की प्रबल आशंका है। घर की विशेष दिशा में यंत्र स्थापित कर संकटों से बचा जा सकता है।

मूलांक 4 यानी जन्मतिथि 4, 13, 22, 31

मूलांक 4 वालों को इस साल भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। मई माह के बाद व्यावसायिक जीवन में प्रगति अधिक तेजी से होगी। कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। अपनी चतुराई और समझ के जरिये विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। कामकाज को लेकर अधिक भागदौड़ रहने के बावजूद काम की गुणवत्ता बनी रहेगी। और आपकी इसी विशेषता को कार्यस्थल पर सराहा जाएगा। कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी सम्भावना है।

मूलांक 5 यानी जन्मतिथि 5, 14, 23

यह साल कई नए परिवर्तन लेकर आएगा और आप बड़ी ही कुशलता के साथ खुद को इन नयी परिस्थितियों में ढालने में कामयाब रहेंगे। कुछ दुविधाओं और शंकाओं के चलते महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में देरी हो सकती है लेकिन आपके द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय सही साबित होगा। अगर अपने व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन का मन बना रहे है तो उसके लिए यह उचित समय है। पैसों की बचत करने के लिए योजनाबद्ध रूप से ही खर्चे करें। अविवाहित युवक-युवतियों के लिए वर्ष 2021 शुभ रहेगा। आपके प्रेमी से आपका विवाह होने के योग बन रहे हैं। परिवार में कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए आपको अपने मन के विपरीत कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सितम्बर-अक्टूबर के महीनों में तकलीफहो सकती है।

मुलांक 6 यानी जन्मतिथि 6, 15, 24

वर्ष 2021 में जीवन की कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर इनका नजरिया बदलेगा। अपने करियर को लेकर पहले ज्यादा गंभीर होंगे। करीबी लोगों द्वारा प्राप्त सहयोग से आप अपने जीवन को लेकर ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे। आपकी लव-लाइफके लिए भी यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के लिए साल के अंत तक इन्तजार करना पड़ेगा। बिजनेस में अपेक्षा के अनुरूप सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको व्यापार विस्तार करने में मदद मिलेगी। निजी जीवन के साथ-साथ व्यवसाय के संबंध में भी कुछ अतिरिक्त खर्चे होंगे। जीवनसाथी के सहयोग से पारिवारिक जीवन प्रेमपूर्ण बना रहेगा।

मूलांक 7 यानी जन्म तारीख 7, 16, 25

मूलांक 7 वालों के लिए 2021 की शुरुआती कुछ महीनें करियर को लेकर कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकते है, लेकिन इसके बाद शेष पूरा वर्ष भाग्य आपके साथ रहेगा। इसलिए कुछ समय के लिए संयम रखे और करियर के संबंध में कोई बड़ा परिवर्तन न करें। कार्यस्थल पर बॉस और सीनियर अधिकारीयों के बीच आपकी छवि में सुधार होगा। बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कुछ व्यर्थ की गतिविधियां पढ़ाई से विद्यार्थियों का ध्यान हटाएगी। अतः संकल्प और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य से की ओर बढ़ें और अनावश्यक चीजों से खुद का ध्यान भटकने न दें।

मूलांक 8 यानी जन्मतिथि 8, 17, 26

करियर इस वर्ष बहुत सकारात्मकता और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार की बाधा या मुश्किल परिस्थितियों का आप आसानी से सामना कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होगी। सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के करियर में उल्लेखनीय प्रगति होगी। आप इस दौरान अधिक उत्साह और प्रखरता के साथ काम कर पायेंगे। कार्यस्थल पर होने वाली अनावश्यक राजनीती में न उलझें। नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति की सम्भावना है। बेहतर आर्थिक स्थिति के चलते आप अपनी पुरानी योजनाओं को भी पूरा करने में सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश के नजरिये से अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। निजी जीवन में आपके द्वारा कही गई बातों का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं।

मूलांक 9 यानी जन्मतिथि 9, 18, 27

9 मूलांक के जातकों के लिए वर्ष 2021 लिए सामान्य रहेगा। सफलता इस बात पर आधारित होगी कि आप खुद की क्षमताओं को कितना अधिक निखारते है और अपनी विशेषताओं का किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं। सुनिश्चित लक्ष्य और योजना के साथ आप काम करते है तो निश्चित ही आप इस समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। परिवार के लोगों की ओर से आपको सहयोग मिलेगा। वर्ष के अंत में परिवार के साथ बाहर लम्बी यात्रा पर जाने की योजना भी बन सकती है। परिवार के साथ बिताया समय आपको मानसिक रूप से तनावमुक्त रखेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो अधिक जोखिम भरे या मशीनी काम करते वक्त थोडा ध्यान रखना होगा, चोट लगने की सम्भावना है। आंखों का विशेष ख्याल रखना होगा।

शुभ अंक, रंग व शुभ दिन

मूलांक 1
शुभ अंकः 1, 3, 9, 12, 27
शुभ रंगः पीला, केसरिया, सुनहरा
शुभ दिनः रविवार, सोमवार।

मूलांक 2
शुभ अंकः 1, 2, 4, 7, 16, 25
शुभ रंगः सफ़ेद, गुलाबी, हरा
शुभ दिनः रविवार, गुरुवार, शुक्रवार।

मूलांक 3
शुभ अंकः 3, 9, 15, 12, 24
शुभ रंगः नीला, लाल, गुलाबी, बेंगनी
शुभ दिनः मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार

मूलांक 4
शुभ अंकः 4, 8, 12, 13, 22
शुभ रंगः नीला, भूरा, खाकी
शुभ दिनः रविवार, बुधवार, शनिवार

मूलांक 5
शुभ अंकः 5, 14, 23
शुभ रंगः सफ़ेद, हरा, हल्का खाकी
शुभ दिनः बुधवार, शुक्रवार, शनिवार।

मूलांक 6
शुभ अंकः 6, 15, 24
शुभ रंगः हल्का नीला, गुलाबी, सफ़ेद
शुभ दिनः मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार।

मूलांक 7
शुभ अंकः 7, 10, 19, 28
शुभ रंगः पीला
शुभ दिनः रविवार, सोमवार, गुरुवार

मूलांक 8
शुभ अंकः 4, 17, 22
शुभ रंगः काला, भूरा, नीला
शुभ दिनः सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मूलांक 9
शुभ अंकः 3, 5, 12, 15, 21, 27
शुभ रंगः लाल, हल्का गुलाबी
शुभ दिनः रविवार, मंगलवार, गुरुवार।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202011010000219
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- प्रभुराम
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रभुराम पिता मंगलूराम साहू पता कुरुद ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 395/1 रकबा 0.325 हे. दर्ज है। आवेदकगणों द्वारा आवेदित भूमि का कच्चा ले आउट बनाकर विभिन्न साईज में प्लाट की बिक्री किया जा रहा है। प्लाटो के बीच मौके पर रोड बनाया गया है। जिसका रकबा 0.080 हे. रोड के अनुसार पटवारी नक्शे में रोड दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17.01.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 31.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202011010000201
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- कृतराम
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कृतराम पिता धनीराम पता कुरुद आवेदक प्रभुराम पिता मंगलूराम साहू पता कुरुद द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 394/1 रकबा 0.80 हे. दर्ज है। आवेदकगणों द्वारा आवेदित भूमि का कच्चा ले आउट बनाकर विभिन्न साईज में प्लाट की बिक्री किया जा रहा है। प्लाटो के बीच मौके पर रोड बनाया गया है। जिसका रकबा 0.060 हे. एवं शेष 0.02 हे. अभिलेख, पटवारी नक्शे में रोड दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17.01.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 31.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202012101000160
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- श्रीमती मीना राना
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मीना राना पति जयप्रकाश मलिक पता कुरुद भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1383/15 रकबा 0.010 हे. भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता सुनीता देवी पति कपिल देव साय से क्रय किए जाने के आधार पर अपने नाम नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 19.01.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)**

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल अंजोरा (ख) दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग रा.नि.मं. 07/08 प्र.अति.तह./2020 वर्ष 2020 आदेश दिनांक 15.10.2020 के अनुसार ग्राम महमरा प.ह.न. 26 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 203/2, 202/7 रकबा क्रमशः 0.028, 0.028 आवेदक नीलेश कुमार साहू पिता धनसाय साहू निवासी दुर्ग के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। जिसका सीमांकन दिनांक 08.01.2021 को किया जाना है। अतः आवेदित भूमि से लगे भूमिस्वामी तथा आवेदित भूमि से हितबद्ध व्यक्ति सीमांकन दिनांक 08.01.2021 समय 12.00 बजे दोपहर तक को आवेदित स्थल पर अपनी भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज सहित उपस्थित रहे।

मुहर — **राजस्व निरीक्षक अंजोरा (ख) दुर्ग**

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल अंजोरा (ख) दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग रा.नि.मं. प्र.अति.तह./ 2020 वर्ष 2020 आदेश दिनांक 11.02.2020 के अनुसार ग्राम महमरा प.ह.न. 26 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 203/2, 203/27 रकबा क्रमशः 0.044, 0.019 आवेदक ऋतीश कुमार टंडन पिता कृपाराम टंडन निवासी घोठा के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। जिसका सीमांकन दिनांक 08.01.2021 को किया जाना है। अतः आवेदित भूमि से लगे भूमिस्वामी तथा आवेदित भूमि से हितबद्ध व्यक्ति सीमांकन दिनांक 08.01.2021 समय 12.00 बजे दोपहर तक को आवेदित स्थल पर अपनी भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज सहित उपस्थित रहे।

मुहर — **राजस्व निरीक्षक अंजोरा (ख) दुर्ग**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती प्रीती उर्फ जूली अग्रवाल ध.प. मनोज अग्रवाल पता केम्प-2 पावर हाउस भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा मौजा पोटियाकला प.ह.नं. 23 अ स्थित खसरा नं. 80/32 रकबा 0.028 हे. अर्थात 3000 वर्गफीट भूमि पर आवेदिका का नाम श्रीमती प्रीती अग्रवाल ध.प. मनोज अग्रवाल के हक व स्वामित्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदिका द्वारा अपना नाम जूली उर्फ प्रीती अग्रवाल ध.प. मनोज अग्रवाल के नाम से जाना पहचाना व समझा जाने के संबंध में दिनांक 03.04.2017 को समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर आम सूचना प्रकाशन कराया गया था। लेकिन राजस्व अभिलेख में नाम सुधार नहीं करा पायी थी। इसलिए मौजा पोटियाकला स्थित भूमि के राजस्व अभिलेख आवेदिता अपना नाम श्रीमती जूली उर्फ प्रीती अग्रवाल ध.प. मनोज अग्रवाल दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 08.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

नाम-परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पुराना नाम प्रीतम देवांगन जन्म तिथि 21.01.1984 पिता जगमोहन देवांगन अपना पुराना नाम बदल कर नया नाम प्रीतम सिंह देवांगन जन्म तिथि 24.01.1984 पिता जगमोहन देवांगन निवासी 919, वार्ड 55 बघेरा दुर्ग छ.ग. 491001 रख लिया हूं। अतः मुझे भविष्य में समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरा नया नाम प्रीतम सिंह देवांगन जन्म तिथि 24.01.1984 पिता जगमोहन देवांगन से जाना एवं पहचाना जाए।

मुहर — **शपथकर्ता प्रीतम सिंह देवांगन**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका कल्पना प्रसाद आ./पति डी.पी. प्रसाद साकिन रिसाली भिलाई के द्वारा ग्राम पाउवारा प.ह.न. 44 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 912/12 रकबा 1326 वर्गफीट हे. भूमि जैतून आ./पति मो. नरुद्दीन से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 08.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 12.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 26.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक रमेश बोरेकर पिता विट्‌ठाल राव बोरेकर साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम सिरसाखुर्द प.ह.न. रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1151 का भाग रकबा 2170 वर्गफीट हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता हीना कुकरेजा आ./ पति चन्दर कुकरेजा से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती आकाक्षा शुक्ला पति प्रवीण कुमार शुक्ला निवासी ग्राम गयानगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 146/99 का टु. रकबा 0.0170 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती अनिता अग्रवाल पति पी.के. अग्रवाल निवासी ग्राम रायपुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 11.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री वसीम खान पिता स्व. मुस्तफा खान निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 663/6 रकबा 0.015 हे. भूमि को विक्रेता मो. रानी कुरैशी पिता स्व. मो. अलताफ कुरैशी निवासी ग्राम रायपुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 21.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 07.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700353

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती वंदना भारती पति अखिलेश कुमार निवासी ग्राम डोंगरगढ़ तहसील व जिला डोगरगढ़ के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 25/46 रकबा 0.011 हे. भूमि को विक्रेता संदीप तिवारी पिता बिहारी प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम सेक्टर-7 भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 22.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 14.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700356

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मुकेश भावनानी अन्य -1 पिता मोतीलाल भवनानी निवासी ग्राम गौरा चौक शंकर नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1277/68 रकबा 798 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता मोना डांगी पिता मदनलाल डांगी निवासी ग्राम शंकर नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 22.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 14.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका संजना सोनी आ./पति जे.पी. सोनी साकिन कोरिया द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 257/52 रकबा 0.010 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता शशिकला सोनी आ./पति जे.पी. सोनी से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका संजना सोनी आ./पति जे.पी. सोनी साकिन कोरिया द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 257/62/8 रकबा 0.006 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता शशिकला सोनी आ./पति जे.पी. सोनी से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बालाराम पिता सखऊ निवासी धनोरा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 455/2 रकबा 0.0300 हे. भूमि का प्राप्त ऋणपुस्तिका गुम/जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण नया ऋण पुस्तिका मिलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक चन्द्रकांत चंद्राकर आ. स्व. टीकाराम साकिन मरोदा सेक्टर भिलाई के द्वारा ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 717/33 का टु. रकबा 530.49.25 हे. भूमि संजीत कुमार पिता टहल प्रसाद से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 06.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 12.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 29.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका श्रीमती रोशनी चन्द्राकर पति संजय कुमार चंद्राकर साकिन रिसाली के द्वारा ग्राम उतई प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 94/3 का टु. रकबा 0.065 हे. भूमि पूरनलाल आ. गैनाराम से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 15.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 30.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700339

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका लता साहू पिता/पति स्व. कृपाराम साहू निवासी ग्राम राजीव नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 715/40 रकबा 0.004 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार कतिका बाई साहू पति कृपाराम साहू की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कोमलदास पिता स्व.रामप्रसाद साहू निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 256/9 रकबा 0.413 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार ज्ञानदास, तुलाराम, यशवंत, लक्ष्मीकांत की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700304

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपचंद पाटनी जैन पिता छगनलाल पाटनी निवासी ग्राम ढीमरपारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 551/29 (561/28) रकबा 0.018 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700381

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आशीष खत्री पिता श्यामलाल खत्री निवासी ग्राम दीपक नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1342/127 रकबा 0.018 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार श्यामलाल आ. टेकचंद खत्री की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700354

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक धनेन्द्र कुमार चंद्राकर पिता गणेशराम चंद्राकर निवासी ग्राम विजय नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 82/4 का टु. रकबा 0.013 हे. भूमि को विक्रेता विश्वास गुप्ता पिता अशोक गुप्ता निवासी ग्राम पोटिया रोड बोरसी से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनोद मांझी पिता गोवर्धन मांझी निवासी ग्राम बठेना धमतरी तहसील व जिला धमतरी के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 80/160 रकबा 0.0110 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती मधु लोहानी पति महेश कुमार लोहानी निवासी ग्राम मोहन नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 30.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए विशेष शिविर

कवर्धा (नवप्रदेश)। जिला चिकित्सालय में प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाया जा रहा है एवं नवीनीकरण के लिए दिव्यांगजनों का परीक्षण किया जाता है। जिला चिकित्सालय में प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक है।समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक श्री हरीश सक्सेना ने बताया कि जिनका दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं बना है या प्रमाण पत्र नवीनीकरण योग्य है, ऐसे दिव्यांगजन प्रति मंगलवार एवं प्रति शुक्रवार को जिला चिकित्सालय के कक्ष क्र. 12 में उपस्थित होकर अपना दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को अस्थि बाधि, .ष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक (14 वर्ष से कम आयुवर्ग के) के दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण, परीक्षण हेतु विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। साथ ही जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (मेडिकल) बन गया है, किन्तु न्क्फ् कॉर्ड हेतु पंजीयन नहीं हुआ है, ऐसे दिव्यांगजन कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला कबीरधाम में उपस्थित होकर यूडीआईडी पंजीयन करा सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (मेडिकल) बनवाने यूडीआईडी पंजीयन कराने के लिए उपस्थित होने वाले दिव्यांगजनों को अपने साथ आधार कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र, राशन कार्ड की छांयाप्रति एवं 3 पासपोर्ट साइज फेटोग्रास (दिव्यांगता को प्रदर्शित करता) लाना अनिवार्य है।

अध्यात्मिकता एवं आधुनिकता का सुन्दर समायोजन

भाटापारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि विचार रुपी घर की खिड़कियाँ सदैव खुली रहनी चाहिए जिससे ताजी हवा अंदर आ सके, गांधीजी का यह कथन भारतीय संस्कृति के उस समावेशी स्वरुप का चित्रण करती है, जिसके तहत सभी का समान आदर करने की भावना एवं अपने जड़ से जुड़े रहनें की प्रतिबद्धता का सिद्धांत है, सरयूपारी ब्राहम्ण समाज महिला मंडल द्वारा सरयू सदन मे गीता जयंती एवं नववर्ष के उपलक्ष्य मे आयोजित कार्यक्रम कुछ इन्ही आयामों को प्रस्तुत करती हुई प्रतीत हुई, एक ओर जहां गीता जयंती के उपलक्ष्य मे अध्यात्मिकता की बयार बही वहीं नववर्ष की आगवानी मे रंगारंग मनोहारी कार्यक्रमों की छटा भी बिखरी,

सरस्वती पूजन से शुभारंभः सरयूपारी ब्राहम्ण महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि समाज की वरिष्ठ महिला सदस्य निशा शर्मा एवं अध्यक्ष उषा मिश्रा के मार्गदर्शन मे मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गयी जिसमें सभी महिला सदस्यों द्वारा उत्साह पूर्वक भागीदारी निभाई गयी, उसके उपरांत स्वागत की कड़ी मे अतिथियों का स्वागत किया गया।

देश का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित होगा कबीरधाम में

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में अनुबंध निष्पादन समारोह का आयोजन 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास में हुआ। यह अनुबंध भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने तथा छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एन.के.जे. बॉयोयूल लिमिटेड के मध्य 30 वर्षों के लिए किया गया। इथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार के गठन के साथ ही किसानों से संबंधित मुद्दे सर्वोपरि रहे हैं, सर्वप्रथम .षि ऋणों की माफी की गई तथा गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखानों की आर्थिक कठिनाई के स्थाई निदान के लिए पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। पी.पी.पी. मॉडल से ईथेनॉल प्लांट की स्थापना का पूरे देश में यह पहला उदाहरण है।

इथेनाल प्लांट हाईब्रीड टेक्नालाजी से बनेगा, जिसमें गन्ना पेराई सीजन के दौरान सीधे गन्ने के जूस से तथा आफसीजन के दौरान मोलासीस से इथेनाल बनाया जाएगा। गन्ने के रस को इथेनाल में डायवर्ड करने के कारण अधिक जूस की जरूरत पडेगी उसकी पूर्ति के लिए किसानों से अधिक से अधिक गन्ना क्रय किया जाएगा। कारखाने में गन्ने का रस निकालने के लिए और यूनिट लगायी जाएगी। किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा किसान हित को सर्वोपरी रखते हुए योजना का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए।किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाने संबंधी समस्या के निराकरण के लिए शक्कर उत्पादन के अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन के विकल्प पर विचार किया गया। शक्कर का डायवर्सन कर इथेनॉल उत्पादन ही एक दीर्घकालिक समाधान है। राज्य शासन की मंत्री परिषद् की बैठक में प्रदेश के सभी चारो कारखानों भोरमदेव कवर्धा, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल पण्डरिया, मां महामाया केरता एवं दंतेश्वरी मैया बालोद में पी.पी.पी. मोड से इथेनॉल प्लांट स्थापना का निर्णय लिया गया। कोरोना जनित विपरीत परिस्थितियों, विपरीत आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की आर्थिक एवं तकनीकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पी.पी.पी. मॉडल का चयन किया गया। राज्य शासन के निर्णय के पालन में प्रथम चरण में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में पी.पी.पी. मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में न्यूनतम 40 के.एल.पी.डी. क्षमता के ईथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु देश का पीपीपी मॉडल से पहला उदाहरण होने के कारण निवेशक चयन के लिए प्रक्रिया के सूक्ष्म पहलूओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निविदा सफलतापूर्वक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण की गई।

फूड एंड सेफ्टी: 1 जनवरी से ऑन लाइन चालान की मिलेगी सुविधा

- **ऑफलाइन सुविधा हो रही बंद**

भाटापारा। नए साल से फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, ऑन लाइन फीस जमा करने के बाद ही जारी होंगे। ऑफलाइन चालान की जगह ऑन लाइन चालान की सुविधा चालू किए जाने के बाद खाद्य सामग्री निर्माण और विक्रय करने वाली संस्थानों को बैंकों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सकेगा।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन नए साल से ऑफ लाइन चालान बंद करने और ऑन लाइन चालान की सुविधा चालू करने जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस नई सुविधा के बाद कारोबार और कारोबारियों को समय बर्बाद करने जैसी दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा और घर बैठे इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकेगा। इसके अलावा विभाग के समीपी कार्यालय के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।

ऑफलाइन चालान 31 से बंद

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों को नए बदलाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि 31 दिसम्बर से ऑफ लाइन चालान की सुविधा बंद की जा रही है। इसके बाद ई-चालान याने ऑन लाइन चालान की सुविधा शुरू की जा रही है। इसलिए नई सुविधा की जानकारी संबंधितों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

1 जनवरी से ई-चालान

नए साल से ई-चालान की सुविधा चालू करने के बाद लाइसेंस नवीनीकरण और नया लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। इसके बाद छोटे, मझोले और ऐसे बड़े कारोबार जो खाद्य पदार्थ निर्माण और विक्रय करते हैं उन्हें चालान पटाने के लिए बैंकों की कतार में नहीं लगना पड़ेगा।

> ऑन लाइन चालान या ई-चालान की सुविधा 1 जनवरी से शुरू हो रही है। नई व्यवस्था के चालू हो जाने के बाद खाद्य कारोबारियों को बैंकों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा और समय की बचत भी की जा सकेगी।
>
> **-डॉ. आर. के शुक्ला,** असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर

प्रेमिका ही निकली कातिल, पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी

कवर्धा (नवप्रदेश)। थाना कवर्धा अपराध क्रमांक- 755/2020 धारा 302 भादवि के मृतक विकास यादव उर्फ विषाल यादव पिता चंदू यादव उम्र-23 साल साकिन दर्रीपारा कवर्धा को उसके परिजनो के द्वारा ईलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृतक विकास यादव को मृत घोषित कर अस्पताली `ममो के आधार पर थाना कवर्धा में मर्ग क्रमांक- 107/20 जाफै कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया मर्ग जांच में मृतक के परिजन गवाहो के कथन एवं पी.एम. रिपोर्ट से मृतक विकास यादव की गला दबाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि की अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान परिजनो के कथन एवं विष्वनीय मुखबीर की सूचना पर संदेही राधिका सारथी उर्फ गीता सारथी पति स्व. रोषन सारथी, उम्र-30 साल साकिन वार्ड नम्बर 24 दर्रीपारा कवर्धा को तलब कर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताई कि विकास उर्फ विषाल यादव से मेरा प्रेम संबंध था, जिसे शादी करने कहने पर समाज की लड़की से शादी करूगा कहकर शादी करने से इंकार करने पर प्रेमिका राधिका सारथी के द्वारा साल से गला घोटकर हत्या करने की बात स्वीकर की एवं किसी को घटना की पता ना चले सोचकर मृतक को अपने घर से मोहल्ला में खुले स्थान में ले जाकर रख दिया था व

न्यायालय नायब तहसीलदार खरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202012110600034
अ/6/2020-21
ग्राम-खरोरा-31 रा.नि.मं. खरोरा

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सूरजकुमार सोनी पिता स्व. रामभजन सोनी निवासी खरोरा, तह. खरोरा के द्वारा फौती दुरूस्ती बाबत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खरोरा प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. खरोरा तहसील खरोरा स्थित भूमि ख.नं. 966/4 का रकबा 0.305 हे. भूमि को विक्रेता दीपक अग्रवाल पिता रामलाल अग्रवाल से पंजीकृत बैनामा दिनांक 27/11/2020 के माध्यम से क्रय करने के कारण आवेदित भूमि को आवेदक अपने नाम पर दर्ज किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 15/01/2021 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — नायब तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर

प्रथम पृष्ठ का शेष...

छत्तीसगढ़ के 7 जिलों...

वाले सभी सातों जिलों में इसके लिए प्रभारी बनाए गए अपर कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों से विस्तृत चर्चा कर तैयारियों की जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि पूर्व में 4 जनवरी को निर्धारित मॉकड्रिल की तिथि में बदलाव करते हुए अब इसे 2 जनवरी को किया जाएगा।

प्रथम चरण में 2.34 लाख का वैक्सीनेशन : राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर लगातार वर्चुवल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। प्रथम चरण में हेल्थकेयर में लगे दो लाख 34 हजार लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा।

उद्यानिकी फसलों से समृद्ध हुए किसान रामहृदय और नीलकंठ

गरियाबंद। उद्यानिकी फसल लेकर ग्राम पाली के किसान उन्नत और समृद्ध बन गए हैं। फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम पाली के रहने वाले किसान रामहृदय साहू धान की फसल को छोड़कर करेला का उत्पादन कर रहे हैं। पहले जहां 1 हेक्टेयर खेत में करीब 50 क्विंटल धान का उत्पादन होता था। आज करेला बोकर भी 50 क्विंटल उत्पादन ले रहे है। फर्क सिर्फइतना है कि धान में उन्हें लगभाग 35 हजार का मुनाफा होता है। करेले उन्हें करीब 78 हजार रूपये का मुनाफा हो रहा है। रामहृदय साहू ने बताया कि पिछले दो वर्ष से उद्यान विभाग के अधिकारी द्वारा मुझे विभागीय योजनाओं और उन्नत तकनीकों का ज्ञान निरंतर मिलता रहा।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-271, दिनांक 29.12.20
वार्ड का नाम वार्ड- पं. दीनदयाल उपाध्याय-41

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-41 स्थित भवन फ्लैट नं. 135 तृतीय तल डिडवानिया रेसीडेंसी जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती रीता मारवाह पति श्री राजेश कुमार मारवाह के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती माधुरी शुक्ला पति डा. शिवशंकर शुक्ला ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-272, दिनांक 29.12.20
वार्ड का नाम वार्ड- पं. दीनदयाल उपाध्याय-41

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-41 स्थित रोहिणीपुरम भवन RPR 569A00263 जो कि निगम अभिलेख में श्री सीताराम डिडवानिया पिता स्व. श्री किशनलाल डिडवानिया के नाम से दर्ज है जिसको श्री संजय झनकलाल डहरवाल पिता श्री झनकलाल ताराचंद डहरवाल ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400087
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक युधिष्ठिर साहू पिता रामनाथ साहू द्वारा ग्राम परसकोल प.ह.नं. 35, में स्थित भूमि खसरा नंबर 491 का रकबा 0.07, खसरा नं. 492 का रकबा 0.04 हे. कुल रकबा 0.11 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का कुल रकबा 0.11 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 01/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400080
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णा इंडस्ट्रीज द्वारा हरिप्रसाद नागेलिया पिता जगदीश वगै. द्वारा ग्राम रसनी प.ह.नं. 30 में स्थित भूमि खसरा नंबर 277/1 का भाग रकबा 0.5000 हे. का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का कुल रकबा 0.5000 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 30/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार खरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202012113900029
अ/6/2020-21
ग्राम-मांठ-32 रा.नि.मं मोहरेंगा

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सूरज कुमार सोनी पिता स्व. रामभजन सोनी निवासी- खरोरा के द्वारा आवेदन के साथ पंजीकृत बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत कर ग्राम-मांठ प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. मोहरेंगा स्थित भूमि ख.नं. 983 का भाग रकबा 0.202 हे. भूमि को विक्रेता रामविशाल गेंडरे वगैरह पिता ठंडराम उर्फ संतराम गेंडरे वगैरह से पंजीकृत बैनामा दिनांक 27/11/2020 के माध्यम से क्रय करने के कारण उक्त आवेदित भूमि को आवेदक अपने नाम पर नामांतरण किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 15.01.2021 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — नायब तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग जगदलपुर जिला बस्तर

मेन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना

दूरभाष नंबर-07782-222865 ई-मेल आईडी- ee-res.jagdalpur@gov.in
क्रमांक/2451/व.ले.लि./ग्रायांसेवा/2020-21 जगदलपुर, दिनांक 29/12/2020

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से प्रदायर्ता प्रतिष्ठानों, सामग्री निर्माताओं एवं अधिकृत विक्रेताओं, (जिनका पंजीयन वाणिज्य कर विभाग छ.ग. में हो) से डी.एम.एफ.टी. मद के साथ अभिसरण मद अंतर्गत स्टाप डेम निर्माण कार्य हेतु प्रथम बार आवश्यक सामग्री प्रदाय बाबत मुहरबंद निविदा फार्म सी में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 6.1.2021 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा खोलने का दिनांक 7.1.2021

ग्रुप क्र.	निर्माण स्थल (ग्राम)	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
1	स्टाप डेम निर्माण कार्य कडतीपारा चन्द्रगिरी, गुड़ीनाला चन्द्रगिरी विकास खण्ड दरभा	21.190 लाख
2	सिंचाई नाली निर्माण कार्य चिंगीतराई तालाब के काजु प्लाट की ओर 1200 मी. चिंगीतराई ग्राम गुमड़पाल वि.खं. दरभा	23.390 लाख
3	सिंचाई नाली निर्माण कार्य नकुल सिंह खेत से बीसंभर खेत तक 1000 मी. चन्द्रगिरी वि.खं. दरभा	19.080 लाख
4	सिंचाई नाली निर्माण कार्य काजू प्लाट से मामडपाल की ओर 1000 मी मामडपाल वि.खं. दरभा	19.490 लाख
5	सिंचाई नाली निर्माण कार्य मदन खेत से मुनगा की ओर 1500 मी मामडपाल वि.खं. दरभा	29.240 लाख
6	सिंचाई नाली निर्माण कार्य ढापनी पारा से पदरपारा 800 मी. वि.खं. दरभा	16.680 लाख
7	सिंचाई नाली निर्माण कार्य जगरू कोसा खेत से मंगडू हडमा खेत तक 500 मी नीले गोदी बोदेनार वि.खं. दरभा	16.689 लाख

2. उपरोक्त सामग्री प्रदाय हेतु निविदा की शर्तें, अमानत राशि, विस्तृत निविदा, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cg.nic.in/resworks में देखी जा सकती है। और दिनांक 2.1.2021 के पश्चात डाउनलोड की जा सकती है।

(पी.के. मेश्राम)
कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग जगदलपुर

जी-85944/5

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गणेश शर्मा पिता बैजनाथ शर्मा निवासी सुपेला भिलाई के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम मालूद प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 458/1 रकबा 0.900 हे. मे से 0.013 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता कृष्ण कुमार साहू पिता स्व. रामबगस साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400487

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री विजय सेक्सरिया आ. राधेश्याम सेक्सरिया निवासी ऋषभ ग्रीन सिटी पुलगांव दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 272/19 रकबा 0.010 अर्थात 1050 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा172 तहत् प्रस्तुत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती ओनम भारती पति लोकेश कुमार प्रमाणिक निवासी ग्राम बोरसी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 168/65 का टु. रकबा 0.020 हे. भूमि को विक्रेता राजेश कुमार शर्मा पिता शारदा प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम आर्यनगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 30.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700357

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नविता देवांगन पति शत्रुहन कुमार देवांगन निवासी ग्राम सेक्टर 10 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 57/32 रकबा 0.016 हे. भूमि को विक्रेता देवेन्द्र मध्यानी पिता खेमामल मध्यानी निवासी ग्राम कंवरनगर सिंधी कालोनी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 16.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

तहसीलदार तहसील-आरंग

मामले की श्रेणी - राजस्व

संदर्भ- जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के **आरंग** नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305831102020003

ईश्तहार

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी मेसर्स प्रोग्रेसिव डेव्हलपर्स द्वारा राजेश गोंदुड़े पिता लोकनाथ गोंदुड़े पता- सांई केयर हास्पिटल तेलीबांधा रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 15002/1(0.0149) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 12/01/2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 24/12/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील — तहसीलदार, तहसील-आरंग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. संभाग बलौदाबाजार (छ.ग.)

बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-5234/NIT-14/2020-2021/वलेलि दिनांक 23/12/2020

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 04/01/2021 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 07/01/2021 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 11/01/2021 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रु.में)
14 T0228	भाटापारा अनुविभाग अंतर्गत न्यायायलय भाटापारा के न्यायिक कर्मचारियों की आवासीय कालोनी हेतु सीमेंट क्रांकीट पहुंच मार्ग लं. 320 मीटर प्रथम आमंत्रण	19.79 0.00 0.00
14 T0229	भाटापारा में अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) लं. 235 मीटर पहुंच मार्ग का निर्माण प्रथम आमंत्रण	19.91 0.00 0.00
14 T0230	न्यायाधीश आवास एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) सिमगा लं. 218 मीटर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम आमंत्रण	19.28 0.00 0.00

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाइट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
संभाग- बलौदाबाजार (छ.ग.)

जी-85940/3

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.पी. डीएन/40/2019-2021

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर अग्रसर हो रहा गरियाबंद

आम लोगों के जीवन में बदलाव के दो वर्ष, समाजिक विकास के साथ आधरभूत विकास की ठोस पहल

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जिला गरियाबंद गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर आगे बढ़ते हुए समाज के चहुंमुखी विकास के लिए जुटी हुई है। शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से विकास को मूर्तरूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन के संवेदनशील फैसलो और कार्यक्रमों से जहां जिला बनने का लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं भविष्य के लिए मजबूत आधार का निर्माण हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के प्रतिभावान युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में मार्गदर्शन देने के लिए रत्नगर्भा अकादमी फॉर कम्पीटेटिव एग्जाम ''रेस'' की शुरूआत की गई है, जिसमें जिले के 350 युवा लाभ उठा रहे हैं। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में छुरा तहसील को अनुविभाग का दर्जा मिलने से अब जिले में 5 अनुविभागीय कार्यालय अस्तित्व में आ गये हैं। अब लोगों को प्रशासनिक कार्यो में सुविधा मिलेगी। जिले में योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यो को गति मिल रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के तहत नरवा हेतु 284 स्वीकृत प्रकरण में से 276 पूर्ण, गौठान हेतु 234 स्वीकृत में से 105 पूर्ण, प्रत्येक विकासखण्ड में 05 आदर्श गौठान का विकास, घुरूवा के 3058 प्रकरण में से 1112 पूर्ण एवं बाड़ी 2044 प्रकरण में से 1131 प्रकरण पूर्ण, 33 स्वीकृत चारागाह में से 29 पूर्ण हो गए है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जिले के 66 हजार 711 कृषक लाभान्वित हुए है। किसानों को 160 करोड़ 67 लाख रूपये की राशि चार किस्तों में किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें से तीन किस्त दिया जा चुका है। गौधन न्याय योजना अंतर्गत 73 हजार 941 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है साथ ही 113 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हॉट-बाजार योजना से जिले के 89 हाट-बाजारों में शिविर लगाकर मरीजो का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार तथा दवाईयों का वितरण किया गया है। अभी तक 1849 शिविर के माध्यम से 45 हजार 850 मरीजों को लाभान्वित किया गया है। इनमें 39 हजार 275 मरीजों को दवाई भी वितरित की गई है। बिजली बिल हॉफ योजना अंतर्गत 74 हजार 860 घरेलु उपभोक्ताओं को 13 करोड़ 43 लाख रूपये का छुट प्रदान किया गया। सिंचाई पम्प विद्युतीकरण अंतर्गत 1308 कृषकों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया। सुपोषण अभियान अंतर्गत फरवरी 2019 में कुपोषण का प्रतिशत 25.64 था, जो वर्तमान स्थिति में 15.98 प्रतिशत रह गया है अर्थात लगभग 10 प्रतिशत की कमी हुई है।

वनवासियों को मालिकाना हक दिलाने जिले में कुल 21 हजार 105 व्यक्तिगत वन अधिकार एवं 836 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये गये। पढ़ई तुहंर दुआर योजना के प्रारंभ से ही इस वनांचल क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास, होमवर्क पाठ्य सामग्री अपलोड आदि में गरियाबन्द जिला प्रथम स्थान पर रहा। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जिला गरियाबन्द में कुल 4 हजार 908 शिक्षक एवं 72 हजार 122 विद्यार्थी पंजीकृत है। जिले के शिक्षकों द्वारा अब तक 44 हजार 201 ऑनलाइन क्लास ली जा चुकी है जिसमे जिले के 14 हजार 794 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' अंतर्गत विगत दो वर्षो में 900 समूहों को एक करोड़ 35 लाख चक्रीय निधि व 599 समूहों को 3.59 करोड़ समुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रदान किया गया।

किसानों ने कहा- कोरोना संकट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहारा बने

■ बोनस की तीन किस्त मिलने से किसानों को मिला संबल

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को मिलने वाले बोनस कोरोना काल में मददगार बन गया। लॉकडाउन और संकट के कठिन परिस्थिति में सरकार की यह योजना किसानों के लिए मददगार बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की शुरूआत हुई। इससे सरकार द्वारा किये गये वादे की पहली किस्त किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पहुंची। इसके पश्चात दो और किस्त मिलने से किसानों को संबल मिला। इस निर्णय से जिले के किसानों में भी प्रसन्नता दिखाई दी। ग्राम बेंदकुरा के किसान सालिक राम, जोहन यादव और संजय चैहान ने बताया कि बोनस की तीन किस्त मिलने से हमे आर्थिक मदद मिली है। ऐसे समय में जब लॉकडाउन और कोरोना का संकट है तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का किया गया वादा हमारे लिए सहारा बन गया है। इसी तरह नागाबुड़ा के 9 एकड़ में खेती करने वाले किसान सीताराम यादव और ग्राम मरौदा के बिसेन ने भी संकट की इस घड़ी में खातों में पैसे आ जाने को लेकर खुशी जाहिर की है। नागाबुड़ा के ही चन्द्रभूषण चैहान ने बताया कि वे चार एकड़ में खेती करते है। बोनस की तीन किस्त मिलने से राहत मिली है। गरियाबंद के 9 एकड़ में खेती किसानी करने वाले रामजी साहू के पुत्र जीवन साहू ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने समर्थन मूल्य में लगभग 98 क्विंटल धान विक्रय किया था। इस तरह तीन किस्तों में लगभग 49 हजार रूपये बोनस के रूप में मिला। जिससे हम डबल फसल लेने और दलहन-तिलहन लगाने में उपयोग करेंगे। इसी तरह गरियाबंद के ही संतुराम विश्वकर्मा ने बताया कि एक एकड़ के किसानी में 13 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा था, इससे बोनस की तीन करीब 6 हजार रूपये प्राप्त हुआ है। यह वाकई सरकार का राहतभरा फैसला है।

उपलब्धियों भरा रहा पलारी पुलिस का कार्यकाल

504 प्रकरणों का हुआ निराकरण

भाटापारा। जिले के थानो में हुए प्रकरणों के निकाल के दिए गए वरिस्ठ अधिकारीयो के निर्देश पर इस साल 2020 में पलारी पुलिस में महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए 504 प्रकरणों का निकाल करने में महत्वपूर्ण सफ्लता प्राप्त की है जिसमे हत्या,चोरो ,डकैती जैसे संगीन अपराध भी शामिल है।

थाना निरीक्षक पलारी सी आर चंद्रा ने इस प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए बताया की वरिस्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और जिले के आला पुलिस अधिकारीयो के मार्ग दर्शन में पलारी पुलिस ने अपने थाना स्टाफ के सहयोग से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। थाना प्रभारी सी आर चंद्रा ने बताया की वर्ष 2020 में थाना पलारी में कुल 484 प्रकरण दर्ज हुये एवं वर्ष 2019 के 57 प्रकरण पेडिग थे कुल 541 प्रकरण में से 504 प्रकरण का निकाल किया गया है जिसमें 4 हत्या, 17 अपहरण, 03 बलात्कार, 01 गैंग रेप, 01 डकैती, 78 एक्सीडेंट, 122 मारपीट, 03 धोखाधडी, 120 आबकारी एक्ट, 10 अन्य प्रकरण निकाल किया गया है।

किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ सौरभ निर्वाणी को बेमेतरा जिले का प्रभार

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ राज्य के कांग्रेस प्रभारी पी एल पुनिया एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ. सौरभ निर्वाणी को प्रदेश कांग्रेस संगठन के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने जिला स्तरीय किसान सहयोग समिति में जिला बेमेतरा का प्रभारी बनाया। इस अवसर पर डॉ सौरभ निर्वाणी ने संगठन के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया, इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी भी उनके साथ थी। डॉ निर्वाणी ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की मदद के लिए किसान कांग्रेस द्वारा स्थानिय वालेंटियर के माध्यम से आ रही व्यवहारिक दिक्कतों का प्रदेश संगठन मंत्री के माध्यम से मोहन मरकाम जी तक भेजा जाएगा, उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा केंद्रों के स्वयं निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। बेमेतरा जिले का प्रभार दिए जाने पर उन्होंने प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और संगठन के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडेय, बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बंशी पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा पूर्ण तरीके से धान की तौलाई, बिक्री और खाद के उठाव के लिये प्रयास करेंगे।

किसलय कराओके का सिंगिग प्रोग्राम आज

लवन। किसलय कराओके ग्रुप की ओर से नये साल के उपलक्ष्य में शुक्रवार 01 जनवरी 2021 की शांम 7 बजे सिंगिग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजन के पूर्व ग्रुप की ओर से बैठक हुआ। ग्रुप के सभी सदस्यों के द्वारा नये साल को यादगार बनाने के लिए किसलय कराओके की तरफ से सिंगिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। लवन में इस तरह का आयोजन पहली बार आयोजित हो रही है। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से नये प्रतिभाओं को अपने छुपे हुए प्रतिभा को सामने लाने का मौका मिलेगा। उक्त आयोजन की जानकारी विजय जायसवाल के द्वारा दिया गया। ।

धान खरीदी में हो रही समस्याओं का तत्काल निराकरण करे सरकार, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे - गिरधारी वर्मा

लवन। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कृषक सहकारी समितियों के धान खरीदी स्थल पर किसानों को अपनी धान बेचने में आ रही समस्याओं को जानने और प्रदेश की भूपेश सरकार की वादाखिलाफी से भूमिपुत्र किसानों को अवगत कराने आयोजित इसी क्रम मे मण्डल लवन अन्तर्गत ग्राम बरदा एवम खैरा की सहकारी समितियों में किसान चौपाल का आयोजन गुरुवार 31 दिसम्बर को कर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के प्रति अपनायी जा रही दमनकारी नीति एवम जानबूझकर पैदा की जा रही समस्या की जानकारी किसानों को दी गयी । इस अवसर पर जिला महामंत्री किसान मोर्चा गिरधारीलाल वर्मा ने उपस्थित कृषकों से चर्चा में कहा कि ये आर्थिक तंगहाली से गुज़र रही खस्ताहाल सरकार आपकी पैदावार खरीदने में पूर्णतया असमर्थ है, इसीलिए लगातार कभी बारदानों की कमी या खरीदी का समय कम करके विभिन्न बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, चुनाव पूर्व हाथों में गंगाजल लेकर किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदने की कसम खाने वाली कांग्रेस पार्टी के शासन काल मे आज किसान खुदकुशी करने को मज़बूर हो रहा है, जबकि पिछले पंद्रह वर्षो के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसी स्थिति कभी छत्तीसगढ़ के किसान ने नही देखी थी आज किसान अपना धान लेकर यहां-वहां भटक रहा है ।

जिले का सर्व ब्राह्मण समाज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ा रहा कदम

बेमेतरा। सर्व ब्राह्मण समाज जिला बेमेतरा के द्वारा पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है जिला बेमेतरा के अनेक ग्रामों में पीपल, बड़, नीम के बड़े पेड़ो के नीचे चौरा बनाकर उन्हे संरक्षित किया जा रहा है। इसी दिशा में ग्राम ताकम में सपाद लक्षेश्वर धाम के प्रभारी ब्रम्हचारी ज्योतिर्मयनंद के नेतृत्व में विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया, इस अवसर पर गौ पूजा भी किया गया। ब्रम्हचारी श्री ज्योतिर्मयनंद ने कहा कि वेद शास्त्रों में वृक्ष को देव तुल्य बताया गया है, हमारे पूर्वज भी वृक्षों को देवता मानते है। आज भी माताओं बहनों के द्वारा वृक्षों की पूजा कि जाती है, अनेक व्रत में भी वृक्षों की पूजा करनें का विधान हैं। सर्व ब्राह्मण समाज जिला बेमेतरा को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा यह सराहनिय कार्य हैं। ग्राम ताकम के निवासीयों नें इस कार्य के लिए सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को बधाई दी।

■ न्यूज गैलरी

सरपंचों को स्वच्छता व पेयजल संबंधी दी जानकारी

डोंगरगढ़। जनपद पंचायत द्वारा स्थानिय कृषि उपज मंडी में गुरूवार को सरपचो को स्वच्छ भरत मिशन व पेयजल संबधि जानकारी एक दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई जिसमें मुख्य से जनपद पंचायत सीईओ एल के कचलाम , जिला समन्वयक नंदकिशोर साहु, श्री मंगेशकर ने जनपद के तहत आने वाले 101 ग्राम पंचायत के सरंपचो व स्वच्छता हितग्राहियो को पेयजल का रखरखाव व स्वच्छता के बारे में विस्तार से समझाया । उक्त प्रशिक्षण में अधिकारीयों ने साफ सफाई कैसे करे ,माहवारी प्रबंधन, कचरा का निपटान कैसे करे और शौचालय का उपयोग केसे हो सहीत विभिन्न जानकारी दी । जनपद सीईओ श्री कचलाम ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पीएचई द्वारा सभी गांव के घरो में पेयजल पहचाने का लक्ष्य रखा जाएगा ताकि ग्रामीणो को साफसुथरा पानी मिल सके जिससे कि गांव में लोगो का स्वास्थ भी ठीक रहे ।

ग्राम फकीरटोला/अंडी में 2 जनवरी को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन

डोंगरगढ़। समीप ग्राम फकीरटोला अंडी में विकासखंड कबड्डी संघ व फेण्डस् क्लब अडी के तत्वाधान में आगामी 2 जनवरी 2021 को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है जिसमें पुरूष वर्ग के लिए प्रथम पुरस्कार 150001 ,दुसरा 10001, तीसरा 7001 व चैथा पुरूस्कार 5001 रूपए इसी प्रकार महिला वर्ग के लिए प्रथम पुरूस्कार 5001 ,दुसरा 4001 , तीसरा 3001 व चैथा पुरस्कार 2001 रूपए रखा गया है बताया गया कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मोहन 9131381452, प्रमोद 6263678413, विकास 8966955632 पर संपर्क कर प्रति टीम प्रवेश शुल्क के रूप में 301 रूपए जमा करना होगा। क्लब के सदस्यो ने क्षेत्र की कबड्डी टीमो को उक्त प्रतियोगिता में बढचढ कर हिस्सा लेने की अपील की है।

छठवें दिन भी जारी रहा सचिवों का धरना

नवागढ़। जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत समस्त पंचायतों के सचिव लगातर छठवे दिन परीवीक्षा अवधि 2 वर्ष पश्चात शासकीय कर्मचारी घोषित किये जाने की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को हड़ताल में पहुंच कर बिंदिया अश्वनी मिरे सभापति जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा समर्थन दिया गया एवं पंचायत सचिव के शासकीय करण मांगों को जायज बताते हुए मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। उपरोक्त जानकारी सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष राजनारायण कुर्रे ने दी।

जिपं सदस्य केशरी मोहन साहू ने मंत्री शिव डहरिया का आभार व्यक्त किया

खरोरा। मंत्री के पहल से अनुपूरक बजट 2020-21 लगभग दौ सौ करोड़ रुपए से अधिक के कार्यो के लिए स्वीकृति मिली है जिसमें मेरे जिला पंचायत क्षेत्र तुलसी, बनरसी, समोसा, मार्ग का चौड़ीकरण लंबाई 8.10. कि.मी हेतु अनुमानित लागत 490 लाख ग्राम ओडका से से बोरिद पहुंच मार्ग लंबाई 4 कि.मी पुल पुलिया सहित हेतू लागत राशि 350. लाख.आरंग आरव मुख्य मार्ग के ग्राम ओडका से अकोली खुर्द होते हुए पंधी तक 5 कि.मी मार्ग हेतु अनुमानित लागत 500.लाख आरंग बैहार मार्ग (आरंग मुख्य मार्ग) का चौड़ीकरण कार्य लंबाई 3 कि.मी हेतु अनुमानित लागत 210 लाख राटोकट के आरंग पहुंच मार्ग लंबाई 280 कि.मी हेतु अनुमानित लागत 190.00 लाख क्षेत्र के विकास के लिए राशि स्वीकृत होने पर जिसके लिए मेरे एवं क्षेत्र के वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं ।

चार दिवसीय अखंड नवधा रामायण का आयोजन सोमनाथ धाम में

खरोरा। ग्राम लखना के पास स्थित सोमनाथ धाम में चार दिवसीय अखण्ड नवधा रामायण का आयोजन मंदिर समिति के द्वारा किया जा रहा है रामायण प्रतिवर्ष की भांति 29 दिसम्बर से लेकर एक जनवरी तक किया गया है जिसमे प्रत्येक मानस मंडली को सांत्वना के रूप में 701 रु और श्री फल साथ ही अन्य सामग्री प्रदान किया जाएगा।

जिला पंचायत सदस्य ने गोठाना, व सार्वजनिक शौचालय का भूमि पूजन किया

खरोरा। ग्राम पंचायत रासोटा एवं केसला में 3.50 लाख शौचालय निर्माण का भूमि पूजन किया केशला में गोठाना 3.50 लाख की जिसमें ग्राम के सरपंच श्रीमान कुमार साहू (केसला), मोहन लाल जांगड़े(उप सरपंच),इदल चंद, डेरहा राम साहू ,डोमन यादव, भागवत साहू, दिनेश्वरी साहू, सरस्वती निषाद, पूर्णिमा निषाद, राजकुमारी बर्मन, शिवबाती निषाद, पंच आदि साहित बड़ी संख्या में के ग्राम के उपस्थित थे।

कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया

खरोरा। काँगेस के स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठजनों का सम्मान किया गया जिसमें ग्राम बैहार के श्री निर्मला साहू (पुर्व सरपंच) पुर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चन्दकाल साहू का सम्मान किया गया।

नगर में जुरमिल का सफल आयोजन

बेमेतरा/थानखम्हरिया। कोरोनकाल के अवसादग्रस्त माहौल के बीच एक लंबे अंतराल के बाद नगर में साहित्य व संगीत से ओतप्रोत सफल कार्यक्रम का कल शाम आयोजन हुआ। प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्था श्री साईनाथ फाउंडेशन द्वारा नगर में स्थित साईनाथ पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित जुरमिल कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय साहित्यकारों सहित बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, लोरमी व आसपास क्षेत्र के अनेक साहित्य व संगीतप्रेमीयों का देर रात तक जमावड़ा बना रहा। आयोजन प्रमुख युवा ग़ज़लगो आशीष राज सिंघानिया के सधे हुए संचालन के साथ नववर्ष के आगमन की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवा गायक शंकर्षण मिश्रा, शिवम सोनी व रजत सिंह चौहान ने अपनी सुमधुर गायकी से सबका दिल जीत लिया।

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ईश्वर सिन्हा पिता मन्नूलाल सिन्हा निवासी नगपुरा के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1826/10 रकबा 0.010 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता ऐजन साहू पिता दयादास साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 13.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका भूलन साहू पति राकेश साहू निवासी राजीव नगर दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम मोहलई प.ह.नं. 06 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 19/1 रकबा 0.8380 हे. मे से 0.018 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता पदम जैन पिता ज्ञानमल जैन के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 13.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका दसरी बाई पति राम कुमार निवासी बेलौदी के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम मालूद प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 458/1 रकबा 0.900 हे. मे से 0.010 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता कृष्ण कुमार साहू पिता स्व. रामबगस साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रुखसाना खान पति फैय्याद खान निवासी कातुलबोर्ड के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम मालूद प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 458/1 रकबा 0.900 हे. मे से 0.010 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता कृष्ण कुमार साहू पिता स्व. रामबगस साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णा कुमार गुप्ता पिता उमाकांत गुप्ता निवासी शीतला नगर के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम मालूद प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 458/1 रकबा 0.900 हे. मे से 0.007 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता कृष्ण कुमार साहू पिता स्व. रामबगस साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सकेन्द्र राणा पिता जयनाथ राणा निवासी धनगढ़ा (झारखण्ड) के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम मालूद प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 458/1 रकबा 0.900 हे. मे से 0.010 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता कृष्ण कुमार साहू पिता स्व. रामबगस साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

नक्सल दंपति ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

नवप्रदेश संवाददाता

बीजापुर। माओवादी युगल यमल नरेंद्र, उर्फ संपत, प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के पोडियम देवी ने बुधवार को वारंगल पुलिस कमिश्नर पी प्रमोद कुमार के सामने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने वालों का विवरण यमल नरेन्द्र, एलियन संवत, पिता का नाम हनुमाय, उम्र 32, ग्राम अन्नाराम, जिला बीजापुर , छग राज्य वह वर्तमान में माओवादी पार्टी एरिया कमेटी और वाजेडू वेंकटपुरम एरिया कमेटी कमांडर, तेलंगाना स्टेट कमेटी कम्युनिकेशन इन-चार्ज और सेक्शन टीम कमांडर के सदस्य हैं। पोडियम देवी के पति का नाम युगल यमल नरेंद्र, उर्फ संपत है। वह वर्तमान में तेलंगाना के माओवादी पार्टी के संचार अनुभाग में एक सैनिक सदस्य के रूप में काम कर रहा है।

दोनों माओवादी दंपति यमल नरेंद्र उर्फ संपत एंव पोडियम देवी का पूर्ण विवरण : आत्मसमर्पित माओवादी यमल नरेंद्र उर्फ संपत को छग राज्य के चंदुर गांव में एक बाल आश्रम में तीसरी कक्षा तक शिक्षा मिली थी। यमल नरेंद्र, जो माओवादी पार्टी के मंडल समिति के सदस्य कोमुर्या कोमुरैय्या के भाषणों से प्रभावित थे और 2005 में खम्मम स्पेशल गुरिल्ला स्क्वाड कमांडर, खम्मम स्पेशल गुरिल्ला स्क्वाड के माध्यम से 2005 में छिप गए। वे 2006 में बल में शामिल हुए, पार्टी के निर्देशों के अनुसार 2007 में जम्पन्ना सुरक्षा प्रभाग के सदस्य के रूप में और ओडिशा-आंध्र ओडिशा सीमा पर 2008 से 2010 तक जम्पन्ना के नेतृत्व में सेवा की। 2010 में उन्हें संचार विभाग द्वारा गांडीकोटा मलैया उर्फ किरण के तहत वॉकी-टॉकी तैयार करने और माओवादी पार्टी को प्रभार सौंपने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 2011 में वह केंद्रीय क्षेत्र समिति में एक क्षेत्र समिति के सदस्य बने और 2015 में वह तेलंगाना राज्य समिति में संचार विभाग के प्रभारी थे। माओवादी पोडियम देवी तेलंगाना स्टेट कमेटी कम्युनिकेशन इन - चार्ज और एक्शन टीम कमांडर यमल नरेंद्र उर्फ ??संपत का 2018 में माओवादी पार्टी से परिचय हुआ और उन्होंने गाँव में दैनिक श्रम करते हुए 2019 में यमल नरेंद्र उर्फ संपत से शादी की।

यमल नरेंद्र उर्फ संवत के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी यमल नरेंद्र के खिलाफ छह से अधिक पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें दो अलग-अलग गोलीबारी के आरोपी नरेंद्र शामिल हैं, मुख्य रूप से 2007 में छग में साथ ही चार पुलिसकर्मी जो 2009 में दमोह इलाके में गोलीबारी में मारे गए थे। यमल नरेंद्र भी इस घटना में सीधे तौर पर शामिल था। नरेंद्र 2012 में कर्णपल्ली और छग में एर्रेली वन क्षेत्र में गोलीबारी में शामिल था और पुलिस को मारने के लिए 2017 में चित्तूर क्षेत्र में बारूदी सुरंग विस्फोट करने का आरोप लगाया गया था।

समर्पण करने के कारण

सीपीआई-माओवादी पार्टी लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी, इस भ्रम को दूर करने के अलावा, लोगों ने माओवादी पार्टी में विश्वास खो दिया है और लोगों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकार नहीं किया है। श्रवंती कलसी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कालसी में रहने के इरादे से नरेंद्र की पत्नी पोडियम देवी के साथ कालसी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया।

पिता को मुखाग्नि दी बेटी ने निभाई अंतिम संस्कार की रस्में

लवन। जिस पिता के कंधों पर बेटी खेलकर बड़ी हुई थी। बुधवार को उसी पिता को अर्थी को उसने कंधा भी दिया और मुखाग्नि देकर बेटा का फर्ज निभाया। बेटी को पिता की अर्थी कंधे पर ले जाते देख लोगों की आंखे नम हो गई। लवन नगर के मेन रोड वार्ड क्र. 02 निवासी पंडित परमानंद तिवारी की दो बेटियां थी। छोटी बेटी एक साल पहले ही गुजर चूकी है। बड़ी बेटी कविता तिवारी ने बेटी का फर्ज निभाते हुए सभी रस्म को पूरा कर अपने पिता को मुखाग्नि दिया। आम तौर पर पुरूष प्रधान समाज में बेटा ही अर्थी को कांधा देता है। लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए कविता ने ही पिता के अंतिम क्रिया कर्म के सभी संस्कार पूरे किए। मरने से पहले पिता ने इच्छा जताई थी कि बेटी ही उनका अंतिम संस्कार करे। बेटी ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सभी रीति-रिवाज के साथ पिता का अंतिम संस्कार किया। बेटी कविता ने न केवल पिता का सपना पूरा किया बल्कि समाज के लिए नया उदाहरण भी पेश किया। पंडित परमानंद तिवारी को कोई बेटा नहीं था। उसका आकस्मिक निधन बुधवार को हुआ। पिता की इच्छा अनुसार बुधवार को कविता तिवारी ने लवन स्थित जोगी सरोवर में पिता की चिता को मुखग्नि दी।

एनकाउंटर के डर से बिल्लू हत्याकांड के दो आरोपियों ने आधी रात किया आत्मसर्पण

नवप्रदेश संवाददाता

बिलासपुर । लाल खदान के हिस्ट्रीशीटर बिल्लू श्रीवास की हत्या के बाद फरार हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इस कदर घेराबंदी की, कि आखिर में आरोपी को खुद तोरवा पुलिस के आगे आत्म समर्पण करना पड़ा।

सोमवार रात करीब 8:15 बजे लाल खदान क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर बिल्लू उर्फ सुनील श्रीवास 45 वर्ष की हत्या उसके ही पुराने दोस्त संजय पांडे ने कर दी थी । करीब से सीने में गोली मारने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गये थे। जिसके बाद से पुलिस उसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली बिहा,र मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के कोटा, तखतपुर, भिलाई , चाम्पा आदि सभी जगह में तलाश कर रही थी। उसके एक एक परिचित रिश्तेदारों के यहां पुलिस पहुंच चुकी थी। जांजगीर कोरबा मस्तूरी में भी पुलिस ने दबिश दी, जिसका असर यह हुआ कि आरोपी समझ गया कि वह अधिक वक्त तक पुलिस से भाग नहीं सकता। लिहाजा उसने खुद तोरवा पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया।

उसने बताया कि बिल्लू श्रीवास ने 4 दिन पहले उसकी जमकर पिटाई की थी ,जिसके कारण वो रंजिश रखने लगा था। उसने बिल्लू श्रीवास की हत्या की योजना अपने दोस्त रमेश श्रीवास्तव के साथ मिलकर बनाई थी । दोनों हत्या के इरादे से मोटरसाइकिल से सोमवार की शाम बिल्लू के पास पहुंचे थे और फिर मौका पाते ही उस पर गोली चला दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मोटरसाइकिल सहित भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ उनके पास से हथियार कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले मृतक के भतीजे आकाश श्रीवास ने घटना का चश्मदीद होने का दावा करते हुए कहा था कि बिल्लू श्रीवास पर गोली नागेंद्र राय ने चलाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बुधवार को वह स्वयं तोरवा थाने पहुंचा और उसने कहा कि उससे गलती हुई है। पुलिस ने आकाश श्रीवास के ही बयान के आधार पर नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। अब लाल खदान मर्डर कांड के असली गुनाहगार यानी संजय पांडे और रमेश श्रीवास्तव पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। संजय पांडे ने कई साल पहले पानी भरने के मामूली विवाद में हत्या की थी और इस अपराध में वह आजीवन कारावास की सजा भुगत कर लौटा था। वर्तमान में वह लाल खदान में ही फल का व्यवसाय करता था, लेकिन मुख्यतः वह रंजन गर्ग गैंग का शूटर था।

15 रुपये की दर से बारदाना उपलब्ध कराने किसानों ने दिया ज्ञापन

नवागढ़। गुरुवार को नवागढ़ क्षेत्र के किसानों ने धान खरीदी के लिए 15 रुपये की दर से बारदाना उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर बेमेतरा के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने पुराने बारदाने में धान खरीदने का आदेश देकर किसानों को राहत दी है। चूंकि बारदाने का रेट 15 रुपये तय किया गया है, इसलिए किसानों से 15 रुपये की दर से राशि लेकर बारदाना उपलब्ध कराकर धान खरीदी किया जा जाए। क्षेत्र के सभी किसान 15 रुपये में बारदाना लेने को तैयार है। इस दौरान समेशर से चन्द्रपाल साहू, छेरकापुर से देवादास चतुर्वेदी, गोपालभैना से मिन्टू बिसेन, नवागढ़ से सुरेश दत्त दुबे,टीकम पूरी गोस्वामी, गोलू सिन्हा ू सहित अन्य गाँव के किसान उपस्थित रहे।

बिलासपुर-भगत की कोठी-के मध्य स्पेशल ट्रेन की सुविधा 11 से

भाटापारा। रेल यात्रियां की सुविधाओ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा बिलासपुर एवं भगत की कोठी के मध्य 08243/ 08244 बिलासपुर-भगत की कोठी-बिलासपुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है । यह स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 11 जनवरी, 2021 एवं भगत की कोठी से 14 जनवरी, 2021 से यह स्पेशल ट्रेन चलेगी । रेल प्रशासन के आगामी निर्देश तक यह गाड़ी चलती रहेगी ।

यह गाडी बिलासपुर से भगत की कोठी के लिए 08243 नंबर के साथ (प्रत्येक मंगलवार एवं सोमवार) को चलेगी एवं भगत की कोठी से बिलासपुर के लिए 08244 नंबर के साथ (प्रत्येक गुरूवार एवं शनिवार) को चलेगी । यह गाड़ी में 05 एसी थ्री, 02 एसी टू , 07 स्लीपर, 04 सामान्य तथा 02 पावरकार सहित कुल 20 कोचों के साथ चलेगी ।